आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अपने ग्राहक को जानिए

[केवाईसी] और

धन-शोधन विरोधी (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) [एएमएल] उपाय नीति

(संशोधन 30 जनवरी 2026 से प्रभावी)

(संस्करण - XV)

संस्करण संख्या	प्रभावी तिथि	निदेशक मंडल के अनुमोदन की तिथि
I	दिसम्बर, 2010	27दिसम्बर, 2010
II	अक्तूबर 2015	19 अक्तूबर, 2015
III	अप्रैल 2017	28 मार्च, 2017
IV	अप्रैल 2018	24 अप्रैल, 2018
V	अप्रैल 2019	30 अप्रैल, 2019
VI	अगस्त 2020	18 अगस्त, 2020
VII	मई 2021	28 मई, 2021
VIII	फरवरी 2022	14फरवरी, 2022
IX	अगस्त 2023	09 अगस्त, 2023
X	जनवरी 2024	10 जनवरी, 2024
XI	फरवरी 2024	08 फरवरी, 2024
XII	अगस्त, 2024	7 अगस्त, 2024
XIII	मार्च, 2025	26 मार्च, 2025
XIV	जुलाई, 2025	25 जुलाई, 2025
XV	जनवरी, 2026	30 जनवरी, 2026

विषय-सूची

क्रम सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	**परिचय**	4-5
2	अध्याय-I प्रयोजनीयता और परिभाषाएँ	6-13
3	अध्याय-**II** सामान्य	14-15
4	अध्याय **– III** ग्राहक स्वीकरण नीति	16-17
5	अध्याय **– IV** जोखिम प्रबंधन	18-19
6	अध्याय **– V** ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी)	20
7	अध्याय - **VI** ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया: भाग **I -** व्यक्तिगत मामले में ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रिया	21-27
	भाग II- स्वत्वधारित प्रतिष्ठानों के लिए सीडीडी उपाय	28
	भाग III- विधिक संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय	28-29
	भाग IV - हिताधिकारी स्वामी की पहचान	30
	भागV – सतत समुचित सावधानी (ऑन-गोइंग ड्यू डिलिजेंस)	30
	भागVI – संवर्धित और सरलीकृत समुचित सावधानी प्रक्रिया	34-36
8	अध्याय – VII अभिलेख प्रबंधन	37
9	अध्याय **– VIII** वित्तीय आसूचना इकाई –भारत को रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ	38
10	अध्याय **– IX** अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ/बाध्यताएँ	39
11	अध्याय - **X** अन्य अनुदेश	43

12	अनुलग्नक **I** डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया	48-49
13	अनुलग्नक **II** कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के लिए विचार किए जा सकने वाले अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की सूची	50-51
14	अनुलग्नक **III** फर्मों / कंपनियों के लिए प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	52
15	अनुलग्नक **IV** सीटीआर/एसटीआर लेनदेन की निर्देश सूची	53

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
अपने ग्राहक को जानिए [केवाईसी] और
धन-शोधन विरोधी (एएमएल) उपाय नीति

1. परिचय

कंपनी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को वर्ष 1990 में निगमित किया गया था और नेशनल हाउसिंग बैंक आरबीआई/एनएचबी के साथ पंजीकृत किया गया थाऔर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। कंपनी ने केवाईसी और एएमएल पॉलिसी (नीति) को एनएचबी की आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया है, साथ ही कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से समय-समय पर इस नीति को संशोधित और परिशोधित किया गया है।

यह नीति शुरू में एनएचबी द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) दिशानिर्देशों तथा और सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं के भाग के रूप में धन-शोधन विरोधी मानकों से संबंधित अधिसूचना के अनुपालन में तैयार की गई थी। नीचे दी गई सारणी में उल्लेख किए गए अनुसार समय-समय पर एनएचबी / आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों में किए गए संशोधनों के अनुरूप इस नीति का पुनरीक्षण किया गया और इसे अद्यतन किया गया :

क्र.सं.	परिपत्र/मास्टर निदेश सं.	दिनांक
1	एनएचबी (एनडी)/डीआरएस/नीति सं.13/2006	10 अप्रैल 2006
2	एनएचबी/एनडी/डीआरएस/नीति सं. 33/2010-11	11 अक्तूबर 2011
3	एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/आरईजी/एमसी-04/2018	02 जुलाई 2018
4	एनएचबी/एनडी/डीआरएस/नीति परिपत्र सं. 94/2018-19	11 मार्च 2019
5	आरबीआई/2019-20/235, डीओआर.एनबीएफसी (एचएफसी).सीसी.सं.111/03.10.136/2019-20	19 मई 2020
6	आरबीआई/डीबीआर/2015-16/18 मास्टर निदेश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/ 14.01.001/2015-16	20 अप्रैल 2020
7	आरबीआई/2021-22/35 डीओआर.एएमएल.आरईसी.सं.15/14.01.001/2021-22	10 मई 2021
8	आरबीआई/2023-24/24 डीओआर.एएमएल.आरईसी.111/14.01.001/2023-24	28 अप्रैल 2023
9	आरबीआई/2023-24/25 डीओआर.एएमएल.आरईसी.13/14.01.001/2023-24	04 मई 2023
10	आरबीआई/2023-24/69-डीओआर.एएमएल.आरईसी.44/14.01.001/2023-24	17 अक्तूबर 2023
11	आरबीआई/2023-24/107 डीओआर.एएमएल.आरईसी.66/14.01.001/2023-24	04 जनवरी 2024
12	आरबीआई/2024-2025/87 डीओआर.एएमएल.आरईसी.49/14.01.001/2024-25	06 नवंबर 2024
13	आरबीआई/2025-26/51 डीओआर.एएमएल.आरईसी.30/14.01.001/2025-26	12 जून 2025
14	आरबीआई/2025-26/53 डीओआर.एएमएल.आरईसी.31/14.01.001/2025-26	12 जून 2025

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रख रखाव) नियम, 2005 (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के संदर्भ में, या तो खाता आधारित संबंध स्थापित करके या अन्यथा द्वारा लेन-देन करते समय और उनके लेनदेन की निगरानी द्वारा, कंपनी को कुछ ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं को पालन करने की आवश्यकता थी, एएचएफएल धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाएगी, जैसा भी लागू हो और समय-समय प रसंशोधित किया गया हो। इस प्रकार, इस नीति को ग्राहकों और उनके वित्तीय व्यवहारों को बेहतर ढंग से जानने/समझने के लिए तैयार किया गया है जो बदले में कंपनी को उनके जोखिमों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा और धन-शोधन (मनीलॉन्ड्रिंग) गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से बचने में मदद करेगा।

इस नीति का पुनरीक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा परिपत्र संख्या आरबीआई/डीओआर/2025-26/361 डीओआर.एएमएल.आरईसी.सं.280/14.01.003/2025-26, “भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025” दिनांक 28 नवंबर 2025 तथा परिपत्र डीओआर.एएमएल.आरईसी.364/14.01.003/2025-26, “भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – अपने ग्राहक को जानिए) संशोधन निदेश, 2025” दिनांक 29 दिसंबर 2025 के माध्यम से जारी नवीनतम संशोधन के अनुपालन में किया गया है।

अध्याय 1

प्रयोजनीयता और परिभाषाएं

2. प्रयोजनीयता

ये निदेश सभी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'एनबीएफसी' और पृथक रूप से एक 'एनबीएफसी' कहा गया है) पर लागू होंगे तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित प्रत्येक संस्था पर लागू होंगे, विशेष रूप से केवाईसी संबंधी मास्टर निदेश के खंड 3 (ख) (xiv) में परिभाषित संस्थाओं पर, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

ये निदेश कंपनी की उन शाखाओं तथा बहुलांश स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, जो विदेश में स्थित हैं, पर भी उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक वे मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों के प्रतिकूल न हों, बशर्ते कि:

i. जहां लागू कानून और विनियम इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें आरबीआई के ध्यान में लाया जाएगा।आरबीआई द्वारा कंपनी को एमएल/टीएफ जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी द्वारा उठाए जाने वाले अतिरिक्त उपायों को लागू करने सहित आगे की आवश्यक कार्रवाई की सलाह दी जा सकती है।

ii. यदि भारतीय रिजर्व बैंक और मेजबान देश के नियामकों द्वारा निर्धारित केवाईसी/एएमएल मानकों में कोई भिन्नता है, तो कंपनी की शाखाओं/सहायक कंपनियों को दोनों में से अधिक कठोर विनियमों का अनुपालन करना होगा।

इस नीति में खाते के किसी भी संदर्भ को ऋण खाते या उधार लेनदेन के संदर्भ में समझा जाएगा। कंपनी अब जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकती, हालाँकि, केवल प्रासंगिक सीमा तक आवश्यकताएँ मौजूदा जमाराशियों पर भी लागू होंगी।

3. परिभाषाएं

नीति के उद्देश्यों के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां दी गई शर्तों का अर्थ निर्देशोंके साथ-साथ धन-शोधन निवारण नियम, 2005 के साथ पठित धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002(अभिलेखों का रखरखाव) के लिए निर्दिष्ट होगा। उदाहरण के तौर पर, इस नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित शर्तों के निर्दिष्ट अर्थ (निर्देशों, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अधीन) होंगे :

i. "आधार संख्या" का अर्थ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (ए) में दिया गया अर्थ होगा;

ii. "अधिनियम" और "नियम" का अर्थ है धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005, और उसमें संशोधन।

iii. आधार प्रमाणीकरण के संदर्भ में "प्रमाणीकरण", का अर्थ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 2 की उप-धारा (सी) के तहत परिभाषित प्रक्रिया है।

iv. हिताधिकारी स्वामी (बीओ):-

   क. जहां **ग्राहक एक कंपनी** है, हिताधिकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्तियों के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

   व्याख्या- इस उपखंड के उद्देश्य के लिए-

1. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे के 25 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व / हकदारी।

2. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं।

ख. जहां **ग्राहक एक साझेदारी फर्म** है, हिताधिकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक या साझेदारी के लाभ का स्वामित्व/हकदार है या जो अन्य साधनों के माध्यम से नियंत्रण लागू करता है।
स्पष्टीकरण- इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए, "नियंत्रण" में प्रबंधन या नीति निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा।

ग. जहां **ग्राहक एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों का निकाय** है, हिताधिकारी स्वामी वह नैसर्गिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व/हकदार है।
स्पष्टीकरण: शब्द 'व्यक्तियों का निकाय' में सोसाइटी शामिल हैं। जहां ऊपर (क), (ख) या (ग) के तहत किसी भी नैसर्गिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, हिताधिकारी स्वामी प्रासंगिक नैसर्गिक व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण किए हो।

घ. जहां ग्राहक कोई **न्यास** है, वहां हिताधिकारी स्वामी/स्वामियों की पहचान में ट्रस्ट निर्माता, ट्रस्टी, न्यास में 10% या उससे अधिक के हिताधिकारी और कोई अन्य नैसर्गिक व्यक्ति जो किसी नियंत्रण श्रृंखला या स्वामित्व द्वारा न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता है, की पहचान को शामिल किया जाएगा।

v. "प्रमाणित प्रतिलिपि" - कंपनी द्वारा एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का अर्थ होगा आधार संख्या के प्राप्ति के प्रमाण की प्रतिलिपि की तुलना करना (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है) या मूल के साथ ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज और अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि को रिकॉर्ड करना।

बशर्ते कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) के मामले में, जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियम, 2016 (फेमा 5(आर)), में परिभाषित किया गया है, वैकल्पिक रूप से, मूल प्रमाणित प्रतिलिपि, निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रमाणित हो सकती है:

• भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारी,
• विदेशी बैंकों की शाखाएं जिनके साथ भारतीय बैंकों के संबंध हैं,
• विदेश में नोटरी पब्लिक,
• कोर्ट मजिस्ट्रेट,
• न्यायाधीश,
• उस देश में भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास जहां अनिवासी ग्राहक रहता है।

vi ."सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री" (सीकेवाईसीआर) का अर्थ ग्राहक के डिजिटल रूप में केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने, भंडारित करने, सुरक्षित रखने और पुनर्प्राप्त करने के लिए नियमों के नियम 2(1) के तहत परिभाषित एक संस्था है।

vii. **"पदनामित निदेशक"** का आशय है पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत लगाए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा पदनामित व्यक्ति और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अधिकृत प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक होना चाहिए।
स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "प्रबंध निदेशक" और "पूर्णकालिक निदेशक" शब्दों का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में उनके लिए निर्दिष्ट अर्थ होगा।

viii. "डिजिटल केवाईसी" का आशय ग्राहक की लाइव फोटो और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज या आधार की प्राप्ति का प्रमाण कैप्चर करना है (जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है), अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा उस स्थान के अक्षांश और देशांतर के साथ जहां ऐसी लाइव फोटो ली जा रहा हो।

ix. "डिजिटल हस्ताक्षर" का वही आशय होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (p) में दिया गया है।

x. "समकक्ष ई-दस्तावेज" का आशय है दस्तावेज का इलेक्ट्रॉनिक समकक्ष, जो ऐसे दस्तावेज के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2016 (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाली मध्यवर्ती संस्थाओं द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) के नियम 9 के अनुसार ग्राहक के डिजिटल लॉकर खाते को जारी किए गए दस्तावेज शामिल हैं।

xi. "समूह" - "समूह" शब्दका वही आशय होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा286 की उप-धारा (9) के खंड (ड.) में दिया गया है।

xii. "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पहचानकर्ता" का आशय, केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री द्वारा ग्राहक को सौंपा गया अद्वितीय नंबर या कोड है।

स्पष्टीकरण : ग्राहक निम्नलिखित माध्यमों से अपना केवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त कर सकता है:
ऋण खाता खोलने की प्रक्रिया में, ग्राहक का केवाईसी पहचानकर्ता, सीकेवाईसीआर द्वारा जनरेट किए जाने तथा कंपनी/एनबीएफसी को उपलब्ध कराए जाने के उपरांत, कंपनी/एनबीएफसी उक्त पहचानकर्ता संबंधित ग्राहक के साथ साझा करेगी। ग्राहक सीकेवाईसीआर पोर्टल (www.ckycindia.in) पर भी अपना केवाईसी पहचानकर्ता प्राप्त कर सकता है।

xiii. "गैर-लाभकारी संगठन" (एनपीओ) का आशय, किसी भी संस्था या संगठन से हैजिसका गठन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (15) में संदर्भित धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (2013 का 18) या किसी भी समान राज्य कानून या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी के तहत ट्रस्ट या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है।

xiv. "आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज" (ओवीडी) का आशय है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार संख्या होने का प्रमाण, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का विवरण होता है।
बशर्ते कि,

क. जहां ग्राहक ओवीडी के रूप में आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वह इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी किए गए फॉर्म में जमा कर सकता है।

ख. जहां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में अद्यतन पता नहीं है, निम्नलिखित दस्तावेज या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों को पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए ओवीडी माना जाएगा: -

i. उपयोगिता बिल जो किसी भी सेवा प्रदाता (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट-पेड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल) का दो

महीने से अधिक पुराना नहीं है;

ii. संपत्ति या नगरपालिका कर रसीद;

iii. सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), यदि उनमें पता है;

iv. राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव और लाइसेंस समझौते;

उदाहरण : यदि कोई ग्राहक चेन्नई में रह रहा है किंतु उसके ओवीडी में नई दिल्ली का पता अंकित है, तो वह पते के प्रमाण के उद्देश्य के लिए *ओवीडी के समतुल्य माने जाने वाला दस्तावेज* प्रस्तुत करके चेन्नई में खाता खोल सकता है। हालांकि, जैसा नीचे खंड (c) में उल्लिखित है, उसे तीन माह की अवधि के भीतर वर्तमान पते सहित ओवीडी प्रस्तुत करना होगा।

ग. ग्राहक ऊपर 'ख' में निर्दिष्ट दस्तावेज जमा करने के तीन महीने की अवधि के भीतर वर्तमान पते के साथ ओवीडी जमा करेगा।

घ. जहां विदेशी नागरिक द्वारा प्रस्तुत ओवीडी में पते का विवरण नहीं होता है, ऐसे मामले में विदेशी न्यायाधिकार के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज और भारत में विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र, पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, दस्तावेज को ओवीडी माना जाएगा, भले ही इसके जारी होने के बाद नाम में कोई परिवर्तन हो, बशर्ते कि यह राज्य सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र या राजपत्र अधिसूचना द्वारा समर्थित हो, जो नाम के परिवर्तन का संकेत देता हो।

xv. "ऑफलाइन सत्यापन" का वही आशय होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 2 के खंड (पीए) में दिया गया है।

xvi. "व्यक्ति" का वही आशय है, जो अधिनियम में निर्दिष्ट है और इसमें शामिल हैं:

क) एक व्यक्ति,

ख) हिंदू अविभाजित परिवार,

ग) कंपनी,

घ) एकल व्यक्ति कंपनी

ङ) साझेदारी फर्म / सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म

च) व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं;

छ) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, उपरोक्त व्यक्तियों (क से च) में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आता है, और

ज) उपरोक्त व्यक्तियों (क से छ) में से किसी के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा ।

xvii. "प्रधान अधिकारी" का आशय, कंपनी द्वाराप्रबंधन स्तरीय नामित उस अधिकारी से है, जो नियमों के नियम 8 के अनुसार जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

xviii. "संदिग्ध लेन-देन" का आशय है एक "लेन-देन" जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है, जिसमें लेन-देन का प्रयास शामिल है, भले ही वह नकद में किया गया हो या नहीं, जो सद्भाव में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए :

क. संदेह के उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध की आय शामिल हो सकती

है, इसमें शामिल मूल्य की परवाह किए बिना; या

ख. असामान्य या अनुचित जटिलता की परिस्थितियों में बनाया गया प्रतीत होता है; या

ग. ऐसा प्रतीत होता है कि आर्थिक औचित्य या *वास्तविक उद्देश्य* नहीं है; या

घ. संदेह के उचित आधार को जन्म देता है कि इसमें आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तपोषण शामिल हो सकता है।

स्पष्टीकरण: आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्तपोषण से जुड़े लेनदेन जिनमें वे लेनदेन शामिल हैं जिनकी निधियों का संबंध आतंकवाद या आतंकी गतिविधियों से होने का संदेह हो या किसी आतंकी अथवा आतंकी संगठन या आतंकवाद को वित्तपोषित करने या वित्तपोषण का प्रयास कर रहे व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त होने का संदेह हो।

xix. "लेन-देन" का आशय है खरीद, बिक्री, ऋण, गिरवी, उपहार, हस्तांतरण, वितरण या उसकी व्यवस्था और इसमें शामिल हैं:

क. खाता खोलना;

ख. जमा, निकासी, विनिमय या किसी भी मुद्रा में धन का हस्तांतरण, चाहे नकद या चेक, भुगतान आदेश या अन्य उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक या अन्य गैर-भौतिक माध्यमों से हो;

ग. सुरक्षा जमा बॉक्स या सुरक्षित जमा के किसी अन्य रूप का उपयोग;

घ. किसी भी प्रत्ययी संबंध में प्रवेश करना;

ङ. किसी भी संविदात्मक या अन्य कानूनी दायित्व के लिए, पूर्ण या आंशिक रूप से किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी भुगतान; या

च. कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था की स्थापना या निर्माण।

केवाईसी पर मास्टर निदेश में निर्दिष्ट अर्थ वाली शर्तें, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उनके लिए नीचे दिए गए अर्थ होंगे:

i. “सामान्य रिपोर्टिंग मानक” (सीआरएस) से तात्पर्य है कर मामलों में आपसी प्रशासनिक सहयोग कन्वेंशन में हस्ताक्षरित बहुपक्षीय करार के अनुच्छेद 6 के आधार पर स्वतः सूचना के विनिमय के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रिपोर्टिंग मानक।

ii. ‘ग्राहक' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी कंपनी के साथ किसी वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में शामिल है तथा इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से ऐसे लेनदेन अथवा गतिविधि में कोई व्यक्ति भाग ले रहा है।

iii. “वॉक इन कस्टमर” अर्थात नवागंतुक ग्राहक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसका कंपनी से खाता आधारित संबंध नहीं है लेकिन कंपनी से लेनदेन करता है।

iv. “ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' (सीडीडी)" का अभिप्राय पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके ग्राहक और लाभकारी मालिक की पहचान करना और सत्यापन करना।

व्याख्या- खाता-आधारित रिश्तों की शुरुआत के समय या पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक राशि के कभी-कभार लेनदेन के समय, फिर चाहे ऐसा एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेनों के माध्यम से, जो जुड़े हुए प्रतीत होते हों, या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण किया जाता है, तो सीडीडी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. ग्राहक की पहचान, पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके उनकी पहचान का सत्यापन, जहां लागू हो, व्यावसायिक संबंध के उद्देश्य और आशयित प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

ख. ग्राहक के व्यवसाय की प्रकृति, उसके स्वामित्व और नियंत्रण को समझने के लिए उचित कदम उठाना;

ग. यह निर्धारित करना कि क्या कोई ग्राहक किसी हिताधिकारी स्वामी की ओर से कार्य कर रहा है, और हिताधिकारी स्वामी की पहचान करना और पहचान के विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करके हिताधिकारी स्वामी की पहचान को सत्यापित करने के लिए समस्त कदम उठाना। ग्राहक और हिताधिकारी स्वामी की पहचान करना और उनका सत्यापन

करना है।

v. "ग्राहक पहचान" का अभिप्राय सीडीडी की प्रक्रिया शुरू करना है।

vi. "एफएटीसीए " का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) का विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी वित्तीय संस्थानों को यू.एस. कर दाताओं या विदेशी संस्थाओं द्वारा रखे गए वित्तीय खातों के बारे में रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें यू.एस. (अमेरिकी) कर दाता पर्याप्त स्वामित्व हित रखते हैं।

vii. "आईजीए" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय कर अनुपालन में सुधार और यूएसए के एफएटीसीए को लागू करने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच अंतर सरकारी समझौता है।

viii. "केवाईसी टेम्प्लेट" का अभिप्राय व्यक्तियों और विधिक संस्थाओं के लिए केवाईसी डेटा को सीकेवाईसीआर को रिपोर्ट करने और रिपोर्ट करने की सुविधा के लिए तैयार किए गए टेम्प्लेट से है।

ix. "अप्रत्यक्ष ग्राहक" का अभिप्राय है ऐसे ग्राहक जो कंपनी की शाखा/कार्यालयों में गए बिना या कंपनी के अधिकारियों से मिले बिना ऋण खाते खोलते हैं।

x. ""सतत समुचित सावधानी"" का अभिप्राय है यह सुनिश्चित करने के लिए ऋण खातों में लेनदेन की नियमित निगरानी करना है कंपनी की जानकारी के अनुसार वे ग्राहकों, ग्राहकों के व्यवसाय और जोखिम प्रोफ़ाइल और धन/सम्पदा के स्रोत के बारे में कंपनी के अनुरूप हैं।
"भुगतान योग्य खाते" शब्द भुगतान योग्य खाते उन संवाददाता खातों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग सीधे तीसरे पक्ष द्वारा अपनी ओर से व्यापार करने के लिए किया जाता है।

xi. "आवधिक अद्यतनीकरण" का अभिप्राय यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम हैं कि सीडीडी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए दस्तावेज, डेटा या जानकारी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय-समय पर मौजूदा रिकॉर्ड की समीक्षा करके अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाता है।

xii. "विनियमित इकाईयां" (आरई) का अर्थ है:-

(क) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) / सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी / सीसीबी) और कोई अन्य इकाई जिसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है, जिसे एक समूह के रूप में 'बैंक' कहा जाएगा।

(ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)

(ग) सभी गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी), विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसी) और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)।

(घ) संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी)

(ड़) सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता (पीएसपी)/ सिस्टम भागीदार (एसपी) और प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रुमेंट जारीकर्ता (पीपीआईजारीकर्ता)

(च) नियामक द्वारा विनियमित मनी ट्रांसफर सेवा योजना (एमटीएसएस) के एजेंटों सहित सभी अधिकृत व्यक्ति (एपी)।

नेशनल हाउसिंग बैंक के यहां पंजीकृत और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचनाओं के अनुसार विनियमित विनियमित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होने के कारण कंपनी को विनियमित इकाई माना जाता है।

xiii. "शेल बैंक" का अर्थ एक ऐसा बैंक है जिसकी उस देश में कोई वास्तविक मौजूदगी नहीं है जहां इसे निगमित और लाइसेंस प्राप्त है, और जो एक विनियमित वित्तीय समूह से असंबद्ध है जो प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण के अध्यधीन आता है। वास्तविक मौजूदगी का अर्थ है किसी देश के भीतर स्थित अर्थपूर्ण विचार और प्रबंधन। केवल स्थानीय एजेंट या निचले स्तर के कर्मचारियों के अस्तित्व को वास्तविकमौजूदगी नहींमाना जाता है।

xiv. "वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)": चेहरे की पहचान के साथ ग्राहक की पहचान की एक वैकल्पिक विधि और कंपनी के किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा सीडीडी के उद्देश्य से अपेक्षित पहचान जानकारी को प्राप्त करने, स्वतंत्र सत्यापन और प्रक्रिया के लेखा-परीक्षा ट्रेल को बनाए रखते हुए के लिए ग्राहक के साथ सहज, सुरक्षित, लाइव, सूचित-सहमति आधारित ऑडियो-विजुअल के जरिए परस्पर बातचीत करके 'सतत समुचित सावधानी' को किया जाता है ताकि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सत्यता को सत्यापित की जा सके। निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली ऐसी प्रक्रियाओं को इस मास्टर निर्देश के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष सीआईपी के समकक्ष माना जाएगा।

xv. "वायर ट्रांसफर" से संबंधित परिभाषा निम्नलिखित है-

क) बैच ट्रांसफर: बैच ट्रांसफ़र एक ऐसा ट्रांसफ़र है जिसमें कई व्यक्तिगत वायर ट्रांसफ़र शामिल होते हैं जिनको एक ही वित्तीय संस्थान को भेजा जा रहा है, लेकिन ये अंततः विभिन्न व्यक्तियों के लिए अभिप्रेत हो सकते हैं/नहीं भी हो सकते हैं।

ख) लाभार्थी :लाभार्थी एक प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति या कानूनी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसकी पहचान प्रवर्तक द्वारा अनुरोध किए गए वायर ट्रांसफर के प्राप्तकर्ता के रूप में की जाती है।

ग) लाभार्थी कंपनी: यह आरबीआई द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है, जो ऑर्डर देने वाले वित्तीय संस्थान से सीधे या मध्यस्थ कंपनी के माध्यम से वायर ट्रांसफर प्राप्त करता है और लाभार्थी को फंड्स उपलब्ध कराता है।

घ) कवर भुगतान: कवर भुगतान वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जो ऑर्डर करने वाले वित्तीय संस्थान द्वारा लाभार्थी वित्तीय संस्थान को सीधे भेजे गए भुगतान संदेश को एक या अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऑर्डर करने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान तक फंडिंग निर्देश (कवर) के रूटिंग के साथ जोड़ता है।

ङ) क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर :क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर किसी भी ऐसे वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जहां आदेश देने वाली वित्तीय संस्था और लाभार्थी वित्तीय संस्था विभिन्न देशों में स्थित हैं। इस शब्द में, वायर ट्रांसफर की किसी ऐसी श्रृंखला को भी संदर्भित करता है जिसमें शामिल वित्तीय संस्थानों में से कम से कम एक भिन्न देश में स्थित होता है।

च) घरेलू वायर ट्रांसफर :घरेलू वायर ट्रांसफर किसी भी ऐसे वायर ट्रांसफर को संदर्भित करता है जहां आदेश देने वाली वित्तीय संस्था और लाभार्थी वित्तीय संस्था भारत में स्थित हैं। इसलिए, इस शब्द में वायर ट्रांसफर की किसी भी ऐसा श्रृंखला को संदर्भित किया जाता है जो पूरी तरह से भारत की सीमाओं के भीतर होती है, भले ही भुगतान संदेश को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किये जाने वाला सिस्टम किसी अन्य देश में स्थित है।

छ) वित्तीय संस्थान :वायर-ट्रांसफर निर्देशों के संदर्भ में, 'वित्तीय संस्थान' शब्द का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित एफएटीएफ सिफारिशों में बताया गया है।

ज) मध्यस्थ कंपनी :मध्यस्थ कंपनी, आरबीआई द्वारा विनियमित किसी वित्तीय संस्थान या किसी अन्य इकाई को संदर्भित करती है, जो किसी क्रमिक या कवर भुगतान श्रृंखला में वायर ट्रांसफर के किसी मध्यवर्ती पहलू को संभालती है और जो आदेश देने वाली वित्तीय संस्था और लाभार्थी वित्तीय संस्था, या कोई अन्य मध्यस्थ वित्तीय संस्था की ओर से वायर ट्रांसफर प्राप्त और पारेषित करती है। ।

झ) आदेश देने वाली कंपनी: आदेश देने वाली कंपनी, आरबीआई द्वारा विनियमितवहवित्तीय संस्था होती है, जो वायर ट्रांसफर शुरू करती है और प्रवर्तक की ओर से वायर ट्रांसफर के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर फंड ट्रांसफर करती है।

ञ) प्रवर्तक :प्रवर्तक उस खाताधारक को संदर्भित करता है जो उस खाते से वायर ट्रांसफर की अनुमति देता है, या जहां कोई खाता नहीं है, या फिर प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति जो वायर ट्रांसफर करने के लिए आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान को ऑर्डर देता है।

ट) क्रमबद्ध भुगतान: क्रमबद्ध भुगतान भुगतान की एक सीधी अनुक्रमिक श्रृंखला को संदर्भित करता है जहां वायर ट्रांसफर और साथ में भुगतान संदेश, आदेश देने वाले वित्तीय संस्थान से लाभार्थी वित्तीय संस्थान तक सीधे या एक या अधिक मध्यस्थ वित्तीय संस्थानों (उदाहरण के लिए, संवाददाता बैंक) के माध्यम से एक साथ भेजे जाते हैं।

ठ) स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग :स्ट्रेट-थ्रू प्रोसेसिंग से तात्पर्य ऐसे भुगतान लेनदेन से है जो मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से

प्रसंस्कृत किए जाते हैं।

ड) विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या :विशिष्ट लेनदेन संदर्भ संख्या भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रोटोकॉल या वायर ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाने वाली मैसेजिंग प्रणाली के प्रोटोकॉल के अनुसार भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित अक्षरों, संख्याओं या प्रतीकों के संयोजन को संदर्भित करती है।

ढ) वायर ट्रांसफर :वायर ट्रांसफर से तात्पर्य किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से किसी प्रवर्तक की ओर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए किसी भी लेन-देन से है, जिसका उद्देश्य किसी लाभार्थी वित्तीय संस्थान में लाभार्थी को धनराशि उपलब्ध कराना है, भले ही प्रवर्तक और लाभार्थी एक ही व्यक्ति क्यों न हों।

जब तक यहां परिभाषित नहीं किया गया है, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अभिप्राय होगा जो उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1935, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड्स का रखरखाव)नियम, 2005, के तहत दिया गया है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए विनियम, कोई वैधानिक संशोधन या फिर से अधिनियमित या वाणिज्यिक भाषा में उपयोग के रूप में, जैसा भी मामला हो ।

अध्याय – II

सामान्य

4. निदेशक मंडल / नीतियों से संबंधित दिशानिर्देश :

(क) यह नीति, जिसमें इसके सभी संशोधन एवं पुनरीक्षण सम्मिलित हैं, कंपनी के निदेशक मंडल या निदेशक मंडल की उस समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित है, जिसे इस संबंध में अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(ख) यह नीति कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पर भी लागू होती है और धन-शोधन विरोधी (एंटी मनी लॉन्ड्रिंग) अधिनियम, 2002 (2003 का15) केअध्याय IV के प्रावधानों के तहत दायित्वों केनिर्वहनके उद्देश्य से लागू की गई है।तदनुसार,प्रत्येक कंपनी जो समूह का हिस्सा है, को मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के विरूद्ध समूह-व्यापी प्रोग्राम लागू करना है, जिसमें 'ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' के संबंध में और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त जोखिम प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए समूह-व्यापी नीतियां शामिल होंगी और ऐसे प्रोग्राम में गोपनीयता और जानकारी के विनिमय के इस्तेमाल के संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने हैं, जिसमें समूह कंपनी पर लागू होने वाले स्तर टिप्प-ऑफ की रोकथाम करने के लिए भी सुरक्षोपाय भी शामिल होंगे।

(ग) नीति का उद्देश्य इस संबंध में नियामक निर्देशों सहित पीएमएल अधिनियम/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्तपोषण, प्रसार वित्तपोषण और अन्य संबंधित जोखिमों से उत्पन्न खतरों के खिलाफ सुरक्षा सुरक्षोपाय प्रदान करना है। उपरोक्तानुसार, कानूनी/ विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए, कंपनी द्वारा जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के लिए, एफएटीएफ मानक तथा एफएटीएफ दिशानिर्देश टिप्पणियों पर विचार करते हुए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

5. नीति में निम्नलिखित चार प्रमुख तत्व शामिल हैं:

(क) ग्राहक स्वीकरण नीति;

(ख) जोखिम वर्गीकरण और प्रबंधन;

(ग) ग्राहक पहचान प्रक्रिया (सीआईपी); तथा

(घ) लेनदेन की निगरानी

5.क कंपनी द्वारा धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम मूल्यांकन

(क) कंपनी ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाओं, लेनदेन या वितरण चैनल, आदि के लिए अपने धन-शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए समय-समय पर 'धन-शोधन(एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम मूल्यांकन' अभ्यास करेगी, ताकि इसकी पहचान, आकलन और प्रभावी उपाय किए जा सकें।

(ख) मूल्यांकन प्रक्रिया में समग्र जोखिम के स्तर और उपयुक्त स्तर और लागू किए जाने वाले प्रशमन के प्रकार को निर्धारित करने से पहले सभी प्रासंगिक जोखिम कारकों पर विचार करना होगा। आंतरिक जोखिम मूल्यांकन तैयार करते समय, कंपनी समग्र क्षेत्र-विशिष्ट कमजोरियों, यदि कोई हो, का संज्ञान लेगी, जिसे नियामक/पर्यवेक्षक समय-समय पर कंपनी के साथ साझा कर सकते हैं।

(ग) कंपनी द्वारा जोखिम मूल्यांकन को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा और कंपनी की प्रकृति, आकार, भौगोलिक उपस्थिति, गतिविधियों की जटिलता/संरचना आदि के अनुपात में होना चाहिए। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन अभ्यास की आवधिकता कंपनी के बोर्ड या कंपनी के बोर्ड की किसी समिति, जिसे इस संबंध में शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, द्वारा जोखिम मूल्यांकन अभ्यास के परिणाम के साथ संरेखण में निर्धारित की जाएगी। हालांकि, इसकी कम से कम वार्षिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए।

(घ) अभ्यास का परिणाम बोर्ड या बोर्ड की किसी भी समिति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे इस संबंध में शक्ति

प्रत्यायोजित की गई है, और सक्षम अधिकारियों और स्व-विनियमन निकायों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

5ख) कंपनी पहचाने गए जोखिमों (जिनकी पहचान स्वयं द्वारा अथवा राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से की गई हो) के प्रशमन और प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) लागू करेगी और तदनुसार, इस संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं होंगी।कंपनी द्वारा सीडीडी प्रोग्राम को, अभिचिन्हित एमएल/टीएफ जोखिमों और कारोबार के आकार के अनुसार लागू किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी नियंत्रणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बढ़ाएगी।

6. पदनामित निदेशक

(क) "पदनामित निदेशक" का अभिप्राय, कंपनी द्वारा पदनामित व्यक्ति है जो पीएमएल अधिनियम और नियमों के अध्याय IV के तहत दिए गए दायित्वों के समग्र अनुपालन को सुनिश्चित करता है और बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा। कंपनी ने इस नीति के तहत प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपने "पदनामित निदेशक" के रूप में नियुक्त किया है और इसकी सूचना एनएचबी / आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी को दी है।

(ख) पदनामित निदेशक के नाम, पदनाम, पते और संपर्क ब्यौरे के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पूर्व में जमा की गई जानकारी, एनएचबी/आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी में कोई भी परिवर्तन शामिल है।

(ग) किसी भी मामले में, प्रधान अधिकारी को 'पदनामित निदेशक' के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

7. प्रधान अधिकारी

(क) कंपनी एक "प्रधान अधिकारी" नियुक्त करेगी । कंपनी ने इस नीति के तहत अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी को प्रधान अधिकारी नियुक्त किया है और इसकी सूचना एनएचबी/आरबीआई और FIU-IND को दी है।

(ख) प्रधान अधिकारी कानून/विनियमों के तहत आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने, लेनदेन की निगरानी करने और सूचनाओं को साझा करने और रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग) प्रधान अधिकारी के नाम, पदनाम, पते और संपर्क ब्यौरे के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पूर्व में प्रस्तुत की गई जानकारी, एनएचबी/आरबीआई और एफआईयू-आईएनडी में कोई भी परिवर्तन शामिल है।

8. नीति का अनुपालन

(क) कंपनी इस नीति का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

(i) केवाईसी अनुपालन के उद्देश्य से 'वरिष्ठ प्रबंधन' का गठन करने वाले को निर्दिष्ट करना।

(ii) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व का आवंटन।

(iii) कानूनी और नियामक आवश्यकताओं सहित कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन।

(iv) केवाईसी/एएमएल नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए समवर्ती/आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली।

(v) त्रैमासिक ऑडिट नोट्स प्रस्तुत करना और ऑडिट कमेटी का अनुपालन।

(ख) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि केवाईसी मानदंडों के अनुपालन का निर्धारण करने के निर्णय लेने के कार्य आउटसोर्स नहीं हैं।

(नोट: कंपनी (आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के संबंध में वरिष्ठ प्रबंधन का मतलब कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तथा कंपनी के कार्यात्मक विभागाध्यक्षों से होगा।)

अध्याय –III

ग्राहक स्वीकरण नीति

9. कंपनी ने, कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के रूप में ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार की है।

10. ग्राहक स्वीकरण नीति में शामिल पहलुओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एएचएफएल यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) बेनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से कोई ग्राहक स्वीकृत नहीं किया जाता है, या ऋण खाता नहीं खोला जाता है।

(ख) कोई ग्राहक स्वीकार नहीं किया जाता है, या ऋण खाता नहीं खोला जाता है, जहां या तो ग्राहक के असहयोग या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/जानकारी की अविश्वसनीयता के कारण एएचएफएल उपयुक्त सीडीडी उपायों को लागू करने में असमर्थ है। कंपनी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर एसटीआर दायर करने पर विचार किया जाएगा,जब यह किसी ग्राहक के संदर्भ में संबंधित सीडीडी कदमोंका अनुपालन करने में अक्षम होती है।

(ग) सीडीडी प्रक्रिया का पालन किए बिना कोई लेनदेन या ऋण खाता-आधारित संबंध नहीं किया जाता है।

(घ) ऋण खाता खोलते समय और आवधिक अपडेशन के दौरान केवाईसी उद्देश्य के लिए मांगी जाने वाली अनिवार्य जानकारी निर्दिष्ट है।

(ङ) क्रेडिट पॉलिसी के अनुसार 'वैकल्पिक'/अतिरिक्त जानकारी, ऋण खाता खोलने के बाद ग्राहक की स्पष्ट सहमति से प्राप्त की जाती है।

(च) कंपनी शाखा/यूसीआईसी स्तर पर सीडीडी प्रक्रिया लागू करेगी। इस प्रकार, यदि कंपनी का मौजूदा केवाईसी-अनुपालक ग्राहक उसी कंपनी से अन्य ऋण सुविधा प्राप्त करना चाहता है या कोई अन्य उत्पाद या सेवा लेना चाहता है, तो ग्राहक की पहचान के संबंध में पुनः नई सीडीडी प्रक्रिया किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(छ) सभी संयुक्त आवेदकों के लिए सीडीडी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(ज) वे परिस्थितियाँ जिनमें, एक ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की ओर से कार्य करने की अनुमति दी जाती है, स्पष्ट रूप से बताई गई है।

(झ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है कि ग्राहक की पहचान किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से मेल नहीं खाती, जिसका नाम आरबीआई द्वारा परिचालित प्रतिबंध सूची में हैजिसे आरबीआई मास्टर निर्देश के अध्याय IX में दर्शाया गया है।

(ञ) कोई भी ग्राहक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, या किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था से संबंधित ऋण खाता नहीं खोला जाना चाहिए, जिसका नाम आरबीआई द्वारा जारी किसी भी नकारात्मक सूची में है।

(ट) जहां स्थाई खाता संख्या (पैन) प्राप्त की जाती है, उसे जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

(ठ) जहां ग्राहक से समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किया जाता है, कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन करेगी।

(ड) जहां पर माल और सेवा कर (जीएसटी) ब्यौरा उपलब्ध है, जीएसटी नम्बर का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकरण की खोज / सत्यापन सुविधा से सत्यापन किया जाएगा।

11. ग्राहक स्वीकरण नीति का परिणाम सामान्य जन, विशेषकर आर्थिक या सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों, जिनमें दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) भी सम्मिलित हैं, को वित्तीय सुविधा प्रदान करने से वंचित करना नहीं होगा। ऑनबोर्डिंग या

केवाईसी के समय-समय पर अद्यतन के किसी भी आवेदन को समुचित जांच-पड़ताल/ उचित सत्यापन के बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अस्वीकृति के कारण(णों) को केवाईसी सत्यापन करने वाले या उसे अनुमोदित करने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा विधिवत दर्ज किया जाएगा।

11क. जहां पर कंपनी को धन शोधन या आंतकवाद वित्तपोषण का संदेह होता है, और इसको समुचित रूप से ऐसा लगता है कि सीडीडी प्रक्रिया को निष्पादित करने से इसके ग्राहक को जानकारी मिल जाएगी, तो इसके द्वारा सीडीडी प्रक्रिया को नहीं किया जाना चाहिए, और इसकी बजाए एफआईयू-आईएनडी के पास एसटीआर दायर करनी चाहिए।

अध्याय–IV

जोखिम प्रबंधन

12. जोखिम प्रबंधन के लिए, कंपनी के पास जोखिम आधारित दृष्टिकोण होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं।

(क) ग्राहकों को कंपनी के मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर **निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम** श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ख) कंपनी द्वारा ग्राहकों के जोखिम-वर्गीकरण के लिए व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख नीचे किया गया है।

(ग) जोखिम वर्गीकरण, ग्राहक की पहचान, सामाजिक/वित्तीय स्थिति, व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, और ग्राहक के व्यवसाय और उनके स्थान के बारे में जानकारी, ग्राहकों के साथ-साथ लेनदेन के साथ भौगोलिक जोखिम कवर करने वाले ग्राहक, आफर किए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं के प्रकार, उत्पादों/सेवाओं की डिलीवरी के लिए उपयोग किया जाने वाला डिलीवरी चैनल, किए गए लेनदेन के प्रकार -नकद चेक/मौद्रिक इंस्ट्रुमेंट्स, वायर ट्रांसफर, विदेशी मुद्रा लेनदेन, आदि जैसे मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।ग्राहक की पहचान पर विचार करते समय, पहचान दस्तावेजों की पुष्टि करने की क्षमता के माध्यम से ऑनलाइन या जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं को भी नीचे दिए गए अनुसार शामिल किया जा सकता है:

ग्राहक का यह एएमएल/जोखिम आधारित वर्गीकरण नीचे उल्लिखित है, जो समय-समय पर निर्दिष्ट किसी भी नियामक आवश्यकता के अधीन है:

निम्न जोखिम	कम जोखिम वाले व्यक्तिगत ग्राहक, वे व्यक्ति (उच्च निवल मूल्य के अलावा) और संस्थाएं हैं जिनकी पहचान और धन के स्रोतों को आसानी से पहचाना जा सकता है और उनके साथ लेन-देन ज्ञात प्रोफ़ाइल के अनुरूप होता है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. वेतनभोगी कर्मचारी, जिनका वेतन बैंक में क्रेडिट किया जाता है 2. स्व-नियोजित व्यक्ति/स्वामित्वाधीन फर्म आदि 3. सरकारी विभाग और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों का कर्मचारी 4. सीमित देयता वाली कंपनियों (सार्वजनिक और निजी) का कर्मचारी 5. पार्टनरशिप फर्म (रजिस्टर्ड डीड)। 6. अनिवासी भारतीयों को रु. 25 लाख, जिसमें पुनर्भुगतान एनआरओ खाते के माध्यम से किया जाता है। 7. रु. 25 लाख तक के सभी ऋण के मामले , जहां आय का आकलन औपचारिक आय प्रमाण दस्तावेजों के बिना किया जाता है या सरोगेट विधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे: नकद वेतनभोगी, बिना आय प्रमाण ऋण और अनौपचारिक स्व-नियोजित ग्राहक। 8. बैंक खाते के माध्यम से रु. 25 लाख तक के सभी जमा

मध्यम जोखिम	1. एनजीओ, ट्रस्ट, चैरिटी और दान प्राप्त करने वाले संगठन 2. ट्रस्ट / सोसायटी खाता 3. उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति (निवेश योग्य अधिशेष से रु. 1.00 करोड़ अधिक) 4. करीबी पारिवारिक शेयरधारिता या हिताधिकारी स्वामित्व वाली कंपनियां। 5. सरोगेट विधियों के आधार पर या औपचारिक आय प्रमाण दस्तावेजों के बिना रु. 25 लाख से ऊपर के सभी ऋणों का मूल्यांकन किया गया। 6. अनिवासी भारतीयों को रु. 25 लाख ऋण, जहां ऋण की चुकौती एनआरओ खाते के माध्यम से होती है। 7. व्यक्तियों और पंजीकृत संस्थाओं से रु. 25 लाख से अधिक के सभी जमा।
उच्च जोखिम	1. राजनैतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्ति (पीईपी) 2. पीईपी के परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार 3. बहुत अधिक नकद लेनदेन (10 लाख रुपये और उससे अधिक और संदिग्ध लेनदेन की सूचना एफआईयू- आईएनडी को दी गई) 4. उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति 5. ऐसे व्यक्ति जिनकी आय के स्रोत अज्ञात हैं या कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रतीक्षित नहीं है। 6. ग्राहकों या संदिग्ध व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष मिलना।

(घ) किसी ग्राहक के जोखिम वर्गीकरण और ऐसे वर्गीकरण के विशिष्ट कारणों को गोपनीय रखा जाएगा और ग्राहक को इसकी जानकारी प्राप्त न हो, इसलिए ग्राहक के सामने इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि संभावित जोखिम से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों से एकत्र की गई अन्य जानकारी दखलंदाजी भरी न हो और इसे क्रेडिट नीति में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

धन-शोधन विरोधी (एएमएल) मानकों और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) मानकों पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा की गई सिफारिशों, भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों का भी जोखिम मूल्यांकन में उपयोग किया जाना चाहिए।

अध्याय – V

ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सीआईपी)

13. कंपनी निम्नलिखित मामलों में ग्राहकों की पहचान करेगी:

क. ग्राहक के साथ ऋण खाता-आधारित संबंध की शुरू करते समय।

ख. किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण का कार्य करना, जो कंपनी का खाताधारक नहीं है।

ग. जब बैंक को स्वयं द्वारा प्राप्त किए गए ग्राहक पहचान डेटा की प्रामाणिकता या पर्याप्तता को लेकर कोई संदेह हो।

घ. तीसरे पक्ष के उत्पादों को एजेंट के रूप में बेचना, अपने स्वयं के उत्पादों को बेचना, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि का भुगतान/बिक्री और प्रीपेड/ट्रैवल कार्ड की पुनः लोडिंग और किसी भी अन्य उत्पाद को पचास हजार रुपये से अधिक बेचते समय।

ङ. एक गैर-खाता-आधारित ग्राहक के लिए लेनदेन करना, जो कि वॉक-इन ग्राहक है, जहां शामिल राशि पचास हजार रुपये के बराबर या उससे अधिक है, चाहे वह एकल लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई लेनदेन जो जुड़े हुए प्रतीत होते हैं।

च. जब कंपनी के पास यह विश्वास करने या संदेह करने का कारण है कि ग्राहक जानबूझकर लेनदेन को पचास हजार रुपये की सीमा से नीचे लेनदेन की एक श्रृंखला में संरचित कर रहा है।

छ. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि एएफएचएल से ऋण प्राप्त करते समय परिचय की मांग नहीं की जानी चाहिए।

14. ऋण खाता आधारित संबंध स्थापित करते समय या पचास हजार रुपये या उससे ज्यादा राशि का कभी-कभार होने वाला लेनदेन करते समय, चाहे वह एक ही लेनदेन के रूप में किया गया हो या कई ऐसे लेनदेन जो आपस में जुड़े हुए लगते हों, या किसी अंतरराष्ट्रीय धन अंतरण लेनदेन के दौरान ग्राहकों की पहचान का सत्यापन करने के उद्देश्य से, कंपनी अपने विवेकानुसार किसी तृतीय पक्ष द्वारा की 'ग्राहक की समुचित जांच-पड़ताल' पर भरोसा करेगी, बशर्ते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी होती हों:

(क) तृतीय पक्ष द्वारा किए गए रिकॉर्ड या ग्राहक की जानकारी, तृतीय पक्ष या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री के बाद तत्काल प्राप्त की जाती है।

(ख) कंपनी द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी आवश्यकताओं से संबंधित पहचान डेटा और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रतियां अनुरोध पर बिना किसी देरी के तृतीय पक्ष से उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) विनियामक द्वारा तृतीय पक्ष का विनियमन, पर्यवेक्षण या निगरानी की जाती है, और उसके पास पीएमएल अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकताओं एवं दायित्वों के अनुरूप ग्राहक की समुचित जांच-पड़ताल तथा रिकॉर्ड-रखने संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए उचित उपाय मौजूद हैं।

(घ) तृतीय पक्ष को उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकन किए गए देश या क्षेत्राधिकार में आधारित नहीं होना चाहिए।

(ङ) ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी और बढ़ाए गए समुचित सावधानी उपायों के लिए अंतिम जिम्मेदारी, जैसा लागू हो, कंपनी की होगी।

अध्याय VI

ग्राहक के संबंध में समुचित सावधानी प्रक्रिया (सीडीडी)

भाग I – व्यक्तियों के मामले में सीडीडी प्रक्रिया

15. (क) सीडीडी शुरू करने के लिए, कंपनी व्यक्ति से ऋण खाता-आधारित संबंध स्थापित करते समय या उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय निम्न प्राप्त करेगी जो हिताधिकारी स्वामी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या किसी विधिक संस्था से संबंधित अटॉर्नी धारक है:

(क) आधार संख्या जहां,

(i) वह आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक है; या

(ii) वह पीएमएल अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (1) के पहले प्रावधान के अनुसार स्वेच्छा से अपना आधार नंबर जमा करने का निर्णय लेता है; या

(ख) आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन किया जा सकता है; या

(ग) आधार संख्या की प्राप्ति का प्रमाण, जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है या कोई ओवीडी या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज, जिसमें उसकी पहचान और पते का विवरण हो; या

(घ) सीकेवाईसीआर से रिकार्ड को डाउनलोड करने के लिए स्पष्ट सहमति के साथ केवाईसी पहचानकर्ता; और

(ड़) स्थाई खाता संख्या (पैन) या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या आयकर नियम, 1962 में परिभाषित प्रपत्र संख्या 60; तथा

(च) ऐसे अन्य पहचान प्रमाण-पत्र, जिनमें व्यवसाय की प्रकृति और ग्राहक की वित्तीय स्थिति, या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज शामिल हैं, जो कंपनी की क्रेडिट नीति के अनुसार कंपनी द्वारा आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते कि जहां ग्राहक ने जमा किया है:

i) आधार संख्या पीएमएल अधिनियम की धारा 11ए की उप-धारा (1) के पहले प्रावधान के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उपयोग करके ग्राहक के आधार संख्या का प्रमाणीकरण करेगी। इसके अलावा, ऐसे मामले में, यदि ग्राहक वर्तमान पता प्रदान करना चाहता है, जो केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में उपलब्ध पहचान जानकारी के अनुसार पते से अलग है, तो वह कंपनी को इस आशय का स्व-घोषणापत्र दे सकता है।

ii) आधार के प्राप्ति का प्रमाण जहां ऑफलाइन सत्यापन किया जा सकता है, कंपनी ऑफलाइन सत्यापन करेगी।

iii) किसी भी ओवीडी के समकक्ष ई-दस्तावेज, कंपनी सूचना प्रौद्योगि की अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के प्रावधानों और उसके तहत जारी किसी भी नियम के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर को सत्यापित करेगी और अनुलग्नक। के तहत निर्दिष्ट लाइव फोटो लेगी।

iv) कोई भी ओवीडी या आधार नंबर होने का प्रमाण जहां ऑफ़लाइन सत्यापन नहीं किया जा सकता है, कंपनी अनुलग्नक । के तहत निर्दिष्ट डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सत्यापन करेगी।

v) उपरोक्त खंड (घ) के तहत केवाईसी पहचानकर्ता के संबंध में, कंपनी अनुच्छेद 54 के अनुसार सीकेवाईसीआर से केवाईसी रिकॉर्ड ऑनलाइन प्राप्त करेगी।

बशर्ते कि जहाँ समतुल्य ई-दस्तावेज प्रस्तुत न किया गया हो, वहाँ सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना के अधीन, विनियमित संस्थाओं (आरई) की किसी श्रेणी को आधार संख्या या ओवीडी के स्वामित्व के प्रमाण की प्रमाणित प्रति और नवीनतम फ़ोटो प्राप्त करने की अनुमति हो।

बशर्ते कि यदि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अधीन अधिसूचित किसी भी योजना के तहत कोई लाभ या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। वृद्धावस्था या अन्य कारणों से चोट, बीमारी या दुर्बलता, और इसी तरह के कारणों से, कंपनी आधार संख्या प्राप्त करने के अलावा, ऑफलाइन सत्यापन करके या वैकल्पिक रूप से किसी अन्य ओवीडी या ग्राहक से उसका समकक्ष ईदस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके पहचान का प्रदर्शन करेगी। इस तरह से किया गया सीडीडी अनिवार्य रूप से कंपनी के अधिकारी द्वारा किया जाएगा और इस तरह की अपवाद हैंडलिंग भी समवर्ती ऑडिट का हिस्सा होगा, जैसा कि अनुच्छेद 08 में अनिवार्य किया गया है। कंपनी केंद्रीकृत अपवाद डेटाबेस में अपवाद हैंडलिंग के मामलों को विधिवत रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करेगी। डेटाबेस में अपवाद देने के आधार, ग्राहक विवरण, अपवाद को अधिकृत करने वाले नामित अधिकारी का नाम और अतिरिक्त विवरण, यदि कोई हो, का विवरण होगा। डेटाबेस कंपनी द्वारा आवधिक आंतरिक ऑडिट/निरीक्षण के अधीन होगा और पर्यवेक्षी समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा।

स्पष्टीकरण 1: कंपनी, जहां उसका ग्राहक आधार संख्या वाले आधार संख्या के प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे ग्राहक उपयुक्त माध्यमों से अपनी आधार संख्या को संशोधित या ब्लैक आउट कर दें, जहां प्रावधान ऊपर (i) के अनुसार आधार संख्या के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण, जिसमें आधार चेहरा प्रमाणीकरण भी सम्मिलित है, कंपनी द्वारा लागू कानून के अनुपालन के अधीन किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3: आधार का उपयोग, आधार के प्राप्ति का प्रमाण आदि, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण 4: केवाईसी के उद्देश्यों के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। हालाँकि, यदि ग्राहक आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के तहत अधिसूचित किसी भी योजना के अंतर्गत कोई भी लाभ या सब्सिडी प्राप्त करना चाहता है, तो ग्राहक को एनबीएफसी को अपनी आधार संख्या देनी होगी। अन्य मामलों में, ग्राहक स्वेच्छा से आधार संख्या उपलब्ध करा सकते हैं।

15 (ख) ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रत्यक्ष माध्यम

(i) ग्राहक को प्रत्यक्ष माध्यम से आधार बायोमेट्रिक-आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के ज़रिए ऑनबोर्ड किया जा सकता है; और ऐसे मामले में, यदि ग्राहक यूआईडीएआई डेटाबेस (यानी, सेंट्रल आइडेंटिटीज़ डेटा रिपॉजिटरी) में उपलब्ध पहचान संबंधी जानकारी के अनुसार दिए गए पते से अलग कोई वर्तमान पता देना चाहता है, तो वह इस आशय की स्व-घोषणा कंपनी को दे सकता है।

(ii) इसके अतिरिक्त, ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया की भी अनुमति है।

16. (क) अप्रत्यक्ष माध्यम में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए ऋण खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं। चूंकि कंपनी आगे जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, ये केवल उधार सुविधाओं के लिए प्रासंगिक हैं:

i. ओटीपी के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए ग्राहक से विशिष्ट सहमति होनी चाहिए।
ii. ऐसे ऋण खातों से जुड़े जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि लेनदेन अलर्ट,

ओटीपी आदि केवल ग्राहक के आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे जाएं। कंपनी ने अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में ऐसे ऋण खातों में मोबाइल नंबर बदलने के अनुरोधों को स्वीकार करने के लिए उचित जांच-पड़ताल की सुदृढ़ प्रक्रिया निर्धारित की है।

iii. केवल सावधि ऋण स्वीकृत किये जायेंगे । स्वीकृत सावधि ऋणों की कुल राशि कंपनी की क्रेडिट नीति और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित केवाईसी नीति में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी।

iv. ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए ऋण खातों को एक वर्ष से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके भीतर इस नीति के तहत पहचान की जानी है। यदि वी-सीआईपी के तहत आधार विवरण का उपयोग किया जाता है, तो नए आधार ओटीपी प्रमाणीकरण सहित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।

v. यदि ऊपर वर्णित सीडीडी प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी नहीं होती है, तो आगे किसी भी संवितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

vi. ग्राहक से इस आशय का घोषणापत्र प्राप्त किया जाएगा, कि किसी अन्य रिपोर्टिंग संस्था के साथ अप्रत्यक्ष माध्यम में ओटीपी आधारित केवाईसी का उपयोग करके कोई अन्य खाता नहीं खोला गया है और न ही खोला जाएगा। इसके अलावा, सीकेवाईसीआर को केवाईसी जानकारी अपलोड करते समय, कंपनी स्पष्ट रूप से इंगित करेगी कि ऐसे खाते ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करके खोले गए हैं। कंपनी अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा अप्रत्यक्ष माध्यम में ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रक्रिया के साथ खोले गए खातों की केवाईसी जानकारी के आधार पर खाते नहीं खोलेगी।

vii. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास किसी भी गैर-अनुपालन/उल्लंघन के मामले में अलर्ट जारी करने के लिए प्रणाली सहित सख्त निगरानी प्रक्रियाएं होंगी।

16 (ख) ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए अप्रत्यक्ष (एनएफटीएफ) माध्यम

(i) एनएफटीएफ माध्यम से ग्राहक को ऑनबोर्ड करने के लिए, उनकी सहमति से,आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण किया जा सकता है; हालाँकि, यह कुछ शर्तों के अधीन होगा। इसके अलावा, ऐसे खाते पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और 'ग्राहक की उचित जाँच-पड़ताल' (सीडीडी) की प्रक्रिया एक वर्ष के भीतर पूरी की जाएगी।

(ii) केवाईसी पहचानकर्ता, समकक्ष ई-दस्तावेज, डिजिलॉकर के माध्यम से जारी दस्तावेज जैसे डिजिटल तरीकों तथा एनआरआई एवं पीआईओ के लिए अनुमत अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करने जैसे गैर-डिजिटल तरीकों का उपयोग कर एनएफटीएफ माध्यम से ग्राहक को ऑनबोर्ड करना कुछ शर्तों के अधीन है।

17. क. कंपनी वी-सीआईपी को कर सकती है:

i) व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए नए ग्राहक के शामिल होने के मामले में सीडीडी, स्वामित्व फर्म के मामले में मालिक, कानूनी इकाई (एलई) ग्राहकों के मामले में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और हिताधिकारी स्वामी (बीओ)।

बशर्ते कि किसी मालिकाना फर्म के सीडीडी के मामले में, कंपनी मालिकाना फर्म के संबंध में गतिविधि प्रमाणों के समतुल्यई-दस्तावेज़ भी प्राप्त करेगी, जैसाकि मालिक की सीडीडी करने के अलावा, एकमात्र स्वामित्व के लिए सीडीडी कदमों में उल्लेख किया गया है।

ii) उपरोक्त बिंदु संख्या 16 के अनुसार आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण का उपयोग करके अ-व्यक्तिगत मोड में खोले गए मौजूदा खातों का रूपांतरण।

iii) पात्र ग्राहकों के लिए केवाईसी का अद्यतन/आवधिक अद्यतनीकरण।

वी-सीआईपी करने का विकल्प चुनने वाली कंपनी द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम मानकों का पालन किया जाएगा:

(क) वी-सीआईपी अवसंरचना

i) कंपनी को एचएफसी/एनबीएफसी के लिए न्यूनतम आधारभूत साइबर सुरक्षा और लचीलेपन फ्रेमवर्क के संबंध में समय-समय पर अपडेट किए गए आरबीआई दिशानिर्देशों के साथ-साथ आईटी जोखिमों पर अन्य सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए था। प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को कंपनी के अपने परिसर में स्थापित किया जाना चाहिए और वी-सीआईपी कनेक्शन और परस्पर संपर्क, अनिवार्य रूप से अपने स्वयं के सुरक्षित नेटवर्क डोमेन से उत्पन्न होना चाहिए। प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रौद्योगिकी संबंधी आउटसोर्सिंग को प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। जहां क्लाउड डिप्लायमेंट मॉडल का उपयोग किया जाता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे मॉडल में डेटा का स्वामित्व केवल कंपनी के पास रहता है और वी-सीआईपी प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद,वीडियो रिकॉर्डिंग सहित समस्त डेटा कंपनी के विशेष स्वामित्व वाले / पट्टे पर दिए गए सर्वर (क्लाउड सर्वर, यदि कोई हो) पर स्थानांतरित किया जाता है और कंपनी के वी-सीआईपी की सहायता करने वाले क्लाउड सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष के प्रौद्योगिकी प्रदाता द्वारा कोई डेटा नहीं रखा जाएगा।

ii) कंपनी उचित एन्क्रिप्शन मानकों के अनुसार ग्राहक की डिवाइस और वी-सीआईपी एप्लिकेशन के होस्टिंग पॉइंट के बीच डेटा का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करेगी। ग्राहक की सहमति को श्रवण-योग्य और परिवर्तन-रोगी तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए।

iii) वीसीआईपी इंफ्रास्ट्रक्चर/ एप्लिकेशन भारत के बाहर आईपी पते से या नकली आईपी पते से कनेक्शन को रोकने में सक्षम होना चाहिए।

iv) वीडियो रिकॉर्डिंग में वी-सीआईपी करने वाले ग्राहक के लाइव जीपीएस को-ऑर्डिनेट (जियो-टैगिंग) और तारीख-समय स्टैम्प शामिल होने चाहिए। वी-सीआईपी में लाइव वीडियो की गुणवत्ता संदेह से परे ग्राहक की पहचान करने के लिए पर्याप्त होगी।

v) एप्लिकेशन में फेस लाइवनेस / स्पूफ डिटेक्शन के साथ-साथ उच्च स्तर की सटीकता के साथ फेस मैचिंग तकनीक वाले घटक शामिल होंगे, यहां तक कि किसी भी ग्राहक की पहचान की अंतिम जिम्मेदारी कंपनी की होती है।

स्पष्टीकरण: लाइवनेस जांच के लिए चेहरे के कुछ खास हाव-भाव दिखाना जैसे कि पलकें झपकाना, मुस्कुराना, भौंहें सिकोड़ना आदि अनिवार्य नहीं है। लाइवनेस जांच के दौरान एनबीएफसी को ग्राहक की किसी भी खास जरूरत, यदि कोई हो, का उचित ध्यान रखना होगा।

vi) वी-सीआईपी की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, उपयुक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

vii) जाली पहचान के पता लगाए गए/ प्रयास किए गए/ 'लगभग चूक हुए' मामलों के अनुभव के आधार पर, एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ कार्य प्रवाह सहित प्रौद्योगिकी संबंधी बुनियादी ढांचे को नियमित रूप से उन्नत किया जाएगा।वी-सीआईपी के माध्यम से जाली पहचान के किसी भी मामले का पता चलने पर उसे मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के तहत साइबर घटना के रूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

viii) वी-सीआई पीबुनियादी ढांचे के संबंध में इसकी मजबूती और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए भेद्यता मूल्यांकन, पेनेट्रेशन जांच और सुरक्षा ऑडिट जैसे आवश्यक परीक्षण करने होंगे। इस प्रक्रिया के तहत रिपोर्ट की गई किसी भी महत्वपूर्ण कमी को इसके कार्यान्वयन से पहले दूर किया जाएगा।ऐसे परीक्षण भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) के पैनलबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा किए जाने चाहिए। ऐसे परीक्षण आंतरिक /नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए जाने चाहिए।

ix) वी-सीआईपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और प्रासंगिक एपीआई/वेब सेवाओं को लाइव वातावरण में उपयोग करने से पहले कार्यात्मक, कार्य निष्पादन, रख रखाव क्षमता के उचित परीक्षण से गुजरना होगा।ऐसे परीक्षणों के दौरान पाए गई किसी भी कमी को दूर के बाद ही, एप्लिकेशन को रोलआउट किया जाना चाहिए । ऐसे परीक्षण

आंतरिक/नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप समय-समय पर किए जाएंगे।

(ख) वी-सीआईपी प्रक्रिया

i) कंपनी वी-सीआईपी के लिए एक स्पष्ट कार्य प्रवाह और मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगी और इसका पालन सुनिश्चित करेगी । वी-सीआईपी प्रक्रिया केवल इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कंपनी के अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी । अधिकारी को लाइवनेंस जांच करने और ग्राहक द्वारा की जाने वाली किसी अन्य धोखाधड़ी वाली हेराफेरी या संदिग्ध आचरण का पता लगाने और उस पर कार्रवाई करने में सक्षम होना चाहिए। लाइवनेस जांच के परिणामस्वरूप विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को बाहर नहीं किया जाएगा।

ii) वीडियो को रोकने, कॉल को दोबारा कनेक्ट करने आदि सहित किसी भी प्रकार के व्यवधान के परिणामस्वरूप एकाधिक वीडियो फ़ाइलों का सृजन नहीं होना चाहिए। यदि रुकावट या व्यवधान के कारण एकाधिक फ़ाइलें नहीं बन रही हैं, तो कंपनी को नया सत्र शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कॉल ड्रॉप/डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में, नया सत्र शुरू किया जाएगा।

iii) वीडियो पर आपसी बातचीत के दौरान बातचीत की लाइवनेस को इंगित करने वाले प्रश्नों सहित अनुक्रम और / या प्रश्नों के प्रकार को यह स्थापित करने के लिए अलग-अलग किया जाएगा कि बातचीत वास्तविक समय की है और पहले से रिकॉर्ड नहीं की गई है।

iv) ग्राहक की तरफ से किसी भी प्रकार की संकेतित सहायता (प्रॉम्टिंग) पाए जाने पर ऋण खाता खोलने की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

v) वी-सीआईपी ग्राहक के मौजूदा या नए ग्राहक होने के तथ्य, या यदि यह पहले से अस्वीकृत किए गए मामले से संबंधित है या यदि किसी नकारात्मक सूची में नाम दिखाई दे रहा है तो कार्य-प्रवाह के उचित चरण में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

vi) वी-सीआईपी करने वाला कंपनी का अधिकृत अधिकारी ऑडियो- वीडियो रिकॉर्ड करेगा और साथ ही पहचान के लिए उपस्थित ग्राहक की तस्वीर लेगा और निम्नलिखित में से किसी एक का उपयोग करके पहचान की जानकारी प्राप्त करेगा:

क. ओटीपी आधारित आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण

ख. पहचान के लिए आधार का ऑफलाइन सत्यापन

ग. सीडीडी प्रक्रियाओं के अनुसार सीकेवाईसीआरसे के वाईसी रिकॉर्ड डाउनलोड करना और ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके केवाईसी जानकारी को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) के साथ साझा करना।

घ. डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों सहित आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) के समतुल्यई-दस्तावेज़

कंपनी उपरोक्त बिंदु संख्या 15 के संदर्भ में आधार संख्या को रिडेक्ट या ब्लैकआउट करना सुनिश्चित करेगी।

XML फ़ाइल या आधार सिक्योरQR कोड का उपयोग करके आधार के ऑफ़लाइन सत्यापन के मामले में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि XML फ़ाइल या QR कोड जेनरेट करने की तारीख वी-आईसीपी करने की तारीख से तीन कार्य दिवस से अधिक पुरानी नहीं होती है।

इसके अलावा, आधार XML फ़ाइल / आधार QR कोड के उपयोग के लिए तीन कार्यदिवसों की विहित की गई अवधि के अनुरूप, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वी-सीआईपी की वीडियो प्रक्रिया सीकेवाईसीआर / आधार प्रमाणीकरण /समकक्ष ई-दस्तावेज़ डाउनलोड करने/ पहचान जानकारी प्राप्त करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर की जाए,यदि दुर्लभ मामलों में, पूरी प्रक्रिया एक बार में या निर्बाध रूप से पूरी नहीं की जा सकती है । हालाँकि,

कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इसके कारण कोई वृद्धिशील जोखिम को शामिल नहीं किया जाता है।

vii) यदि ग्राहक का पता ओवीडी में दर्शाए गए पते से अलग है, तो मौजूदा आवश्यकता के अनुसार, वर्तमान पते का उपयुक्त रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आर्थिक और वित्तीय प्रोफ़ाइल / जानकारी की वी-सीआईपी कराने वाले ग्राहक से भी उपयुक्त तरीके से पुष्टि की जाए।

viii) कंपनी इस प्रक्रिया के दौरान ग्राहक द्वारा प्रदर्शित पैन कार्ड की एक स्पष्ट छवि प्राप्त करेगी, सिवाय उन मामलों के जहां ग्राहक द्वारा ई-पैन प्रदान किया गया है । पैन विवरण को डिजिलॉकर सहित जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाएगा।

ix) ई-पैन सहित समकक्ष ई-दस्तावेज़ की मुद्रित प्रति का उपयोग वी-सीआईपी के लिए मान्य नहीं है।

x) कंपनी का अधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आधार / ओवीडी और पैन / ई- पैन में ग्राहक की तस्वीर वी-सीआईपी कराने वाले ग्राहक की तस्वीर से मेल करती है और आधार / ओवीडी और पैन /ई-पैन में शामिल पहचान ब्यौरा ग्राहक द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे से मेल करना चाहिए।

xi) वी-सीआईपी के माध्यम से खोले गए सभी खातों को प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और परिणाम की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए सहवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन होने के बाद ही चालू किया जाएगा।

xii) ऐसे सभी मामले जो पैराग्राफ के तहत विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम जैसी अन्य संविधियों के तहत आवश्यक हैं, उनका कंपनी द्वारा उचित रूप से अनुपालन किया जाएगा।

(ग) वी-सीआईपी रिकार्ड और डेटा प्रबंधन

i) वी-सीआईपी का संपूर्ण डेटा और रिकॉर्डिंग भारत में स्थित सिस्टम /सिस्टम में संग्रहीत की जाएगी।कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाता और उस पर तारीख और समय की मोहर लगी हो जिससे ऐतिहासिक डेटा की खोज आसान हो सके। आरबीआई केवाईसी मास्टर निर्देश में तय रिकॉर्ड प्रबंधन के संबंधित मौजूदा निर्देश वी-सीआईपी के लिए भी लागू होंगे।

ii) वी-सीआईपी करने वाले अधिकारी के ब्यौरे के साथ गतिविधि लॉग को संरक्षित किया जाएगा।

17 **(ख) वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) के माध्यम से ग्राहक ऑनबोर्डिंग**

(i) वी-सीआईपी, सीडीडी का एक वैकल्पिक तरीका है, जिसे कंपनी का कोई अधिकृत अधिकारी अपनाता है। इसमें, सीडीडी के उद्देश्य से ज़रूरी पहचान संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए, ग्राहक के साथ निर्बाध, सुरक्षित, लाइव, सूचित एवं सहमति-आधारित ऑडियो-विज़ुअल बातचीत की जाती है।

(ii) वी-सीआईपी को प्रत्यक्ष ऑनबोर्डिंग के समान माना जाता है।

18. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए सरलीकृत विधि: यदि कोई व्यक्ति जो ऋण लेना चाहता है, वह निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो कंपनी अपने विवेक पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऋण खाते खोल सकती है:

(**क**) कंपनी ग्राहक से एक स्व-सत्यापित फोटो प्राप्त करेगी।

(**ख**) कंपनी के पदनामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर के तहत प्रमाणित करते हैं कि ऋण खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया है।

(**ग**) ऋण खाता शुरू में बारह महीने की अवधि के लिए चालू रहेगा, जिसके भीतर, जैसा लागू हो, सीडीडी किया जाएगा।

(**घ**) उनके सभी खातों में स्वीकृत ऋण/शेष राशि किसी भी समय पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(**ङ**) एक साथ लिए गए सभी खातों में कुल क्रेडिट एक वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

(**च**) ग्राहक को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि उसके द्वारा उपरोक्त (**घ)** के उल्लंघन के मामले में पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने तक किसी और लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(**छ**) जब शेष राशि चालीस हजार रुपये तक पहुंच जाती है या एक वर्ष में कुल क्रेडिट अस्सी हजार रुपये तक पहुंच जाता है तो ग्राहक को सूचित किया जाएगा कि केवाईसी करने के लिए उपयुक्त दस्तावेज जमा किए जाने चाहिए अन्यथा खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा, जब एक साथ लिए गए सभी खातों में कुल शेष राशि उपरोक्त निर्देश (**d)** और (**e)** में निर्धारित सीमा से अधिक हो।

(**ज**) कंपनी ग्राहक को सूचित करने और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएगी, जिसमें विफल रहने पर आगे किसी भी संवितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(झ) ऋण खाते की निगरानी की जाएगी और जब एमएल/टीएफ गतिविधियों या अन्य उच्च जोखिम वाले कार्यों का संदेह हो, तो अनुच्छेद 15, 16 या 17 के अनुसार ग्राहक की पहचान तय की जाएगी।

19. कंपनी की एक शाखा/कार्यालय द्वारा एक बार किया गया केवाईसी सत्यापन उसी कंपनी की किसी अन्य शाखा/कार्यालय में ऋण खाते के हस्तांतरण के लिए मान्य होगा, बशर्ते संबंधित ऋण खाते के लिए पूर्ण केवाईसी सत्यापन पहले ही किया जा चुका हो और वह आवधिक अद्यतन के लिए देय न हो।

भाग II- स्वत्वधारित प्रतिष्ठानों के लिए सीडीडी उपाय

20. स्वत्वधारित प्रतिष्ठानों के नाम पर ऋण खाता खोलने के लिए व्यक्ति (मालिक) का सीडीडी किया जाएगा।

21. उपरोक्त के अतिरिक्त, स्वत्वधारित प्रतिष्ठानों के नाम से व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई दो दस्तावेज या समकक्ष ई-दस्तावेज भी प्राप्त किए जाएंगे:

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र जिसमें सरकार द्वारा जारी उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र(यूआरसी) शामिल है

(ख) दुकान और संस्थापना अधिनियम के तहत नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र / लाइसेंस।

(ग) बिक्री और आयकर रिटर्न।

(घ) सीएसटी/वैट/जीएसटी प्रमाण पत्र (अनंतिम/अंतिम)

(ङ) बिक्री कर/सेवा कर/पेशेवर कर अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीकरण दस्तावेज।

(च) डीजीएफटी के कार्यालय द्वारा स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान को जारी आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) या किसी क़ानून के तहत निगमित किसी भी पेशेवर निकाय द्वारा स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम पर जारी लाइसेंस/अभ्यास का प्रमाण पत्र।

(छ) स्वत्वधारी के नाम पर आयकर अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित / स्वीकृत पूर्ण आयकर रिटर्न (केवल पावती नहीं), जहां प्रतिष्ठान की आय परिलक्षित का गई है।

(झ) उपयोगिता बिल जैसे बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलीफोन बिल।

22. ऐसे मामलों में जहां कंपनी इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे दो दस्तावेज प्रस्तुत करना संभव न हो, कंपनी अपने विवेक पर व्यवसाय/गतिविधि के प्रमाण के रूप में उन दस्तावेजों में से केवल एक को स्वीकार कर सकती है।

बशर्ते कि कंपनी संपर्की का सत्यापन करे और ऐसी अन्य जानकारी और स्पष्टीकरणों को एकत्र करे, जो ऐसे प्रतिष्ठान के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो, और स्वयं की इस बात के लिए पुष्टि करे और अपनी संतुष्टि कर ले कि स्वत्वधारित प्रतिष्ठान के पते से व्यवसाय की गतिविधियों को सत्यापित किया गया है।

भाग III – विधिक संस्थाओं के लिए सीडीडी उपाय

23. किसी कंपनी (सार्वजनिक या निजी) का ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) निगमीकरण का प्रमाण पत्र

(ख) संस्था के अंतर्नियम और बहिर्नियम।

(ग) कंपनी की स्थायी खाता संख्या

(घ) निदेशक मंडल से एक प्रस्ताव और उसके प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा

(ङ) कंपनी की ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित सीडीडी दस्तावेज।

(च) वरिष्ठ प्रबंधकीय पद धारित करने वाले संबंधित व्यक्तियों के नाम; और

(छ) पंजीकृत कार्यालय और व्यवसाय का मुख्य स्थान, यदि यह अलग है

24. साझेदारी फर्म/ एलएलपी का ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए:

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र/ निगमन का प्रमाणपत्र

(ख) साझेदारी विलेख/ एलएलपी विलेख

(ग) साझेदारी फर्म की स्थायी खाता संख्या

(घ) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज, जैसा कि अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट है, जैसा भी मामला हो

(ड.) सभी साझेदारों के नाम, और

(च) पंजीकृतकार्यालयऔरव्यवसायकामुख्यस्थान, यदियहअलगहै

25. किसी न्यास का ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक या उसके समकक्ष ई-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जानी चाहिए:

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र

(ख) न्यास विलेख

(ग) न्यास का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म संख्या 60

(घ) अपनी ओर से लेनदेन करने के लिए मुख्तारनामा धारक हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित दस्तावेज, जैसा कि अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट है, जैसा भी मामला हो

(ड.) लाभभोगियों, न्यासियों, निपटानकर्ताओं, संरक्षक, यदि कोई है तथा न्यास के लेखकों के नाम,

(च) न्यास के पंजीकृत कार्यालय का पता; और

(छ) न्यासी की भूमिका करने वाले और न्यास की ओर से लेनदेन करे वालों के लिए, व्यक्तियों के लिए सीडीडी बिंदु में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार।

26. अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों में से प्रत्येक की प्रमाणित प्रतियां या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए:

(क) ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के प्रबंध निकाय का प्रस्ताव

(ख) अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय का स्थायी खाता संख्या या फॉर्म संख्या 60

(ग) उसकी ओर से लेनदेन करने के लिए दिया गया मुख्तारनामा

(घ), हिताधिकारी स्वामी, प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित सीडीडी दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, जो उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुख्तारनामा धारक हो और

(ङ) ऐसी जानकारी जो कंपनी द्वारा ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय के विधिक अस्तित्व को सामूहिक रूप से सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो सकती है।

स्पष्टीकरण: अपंजीकृत ट्रस्टों/साझेदारी फर्मों को 'अनिगमित संघ' के दायरे में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: 'व्यक्तियों के निकाय' वाक्यांश में सोसाइटी शामिल हैं।

27. ग्राहकों जैसे कि सोसायटी, विश्वविद्यालय और स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायतों आदि न्यायिक व्यक्तियों (जिन्हें पहले वाले भाग में कवर नहीं किया गया है) या व्यक्ति ऐसे न्यायिक व्यक्ति या व्यक्ति या न्यास की ओर से काम करते हैं, के ऋण खाता खोलने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां या उनके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए और उनका सत्यापन किया जाना चाहिए:

(क) संस्था की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम दर्शाने वाले दस्तावेज;

(ख) उसकी ओर से लेन-देन करने के मुख्तारनामा धारक व्यक्ति के दस्तावेज, जैसा कि व्यक्तियों के लिए सीडीडी प्रक्रिया बिंदु में निर्दिष्ट है,

(ग) ऐसे दस्तावेज जो कंपनी द्वारा ऐसी संस्था/न्यायिक व्यक्ति के विधिक अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

बशर्ते कि किसी न्यास के मामले में, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि खाता-आधारित संबंध शुरू होने के समय या आरबीआई केवाईसी मास्टर निर्देश के अनुच्छेद 21 के खंड (2), (5) और (6) में निर्दिष्ट लेन देन करते समय अपनी स्थिति का खुलासा करते हैं।

भाग – IV हिताधिकारी स्वामी की पहचान

28. विधिक व्यक्ति, जो कि नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है, का खाता खोलने के लिए हिताधिकारी स्वामी (यों) की पहचान की जाएगी और उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसार सभी उचित कदम उठाए जाएंगे ताकि उनकी पहचान निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए की जाए:

(क) जहां ग्राहक या नियंत्रण करने वाले हित का मालिक (i) भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इकाई है, या (ii) यह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्राधिकारों में निवासी है या ऐसे क्षेत्राधिकारों में स्टॉकएक्सचेंजों में सूचीबद्ध इकाई है, या (iii) यह ऐसी सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनी है; ऐसी संस्थाओं के किसी भी शेयरधारक या लाभभोगी स्वामी की पहचान और सत्यापन करना आवश्यक नहीं है।

(ख) न्यास/नामिती या प्रत्ययी खातों के मामलों में यह निर्धारित किया जाए कि क्या ग्राहक किसी अन्य की ओर से न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसे मामलों में, मध्यवर्तियों अथवा जिनकी ओर से वे कार्य कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य व्यवस्थाओं का विवरण भी प्राप्त किया जाएगा।

भाग – V -सतत समुचित सावधानी

29. कंपनी को ग्राहकों के संबंध में सतत समुचित सावधानी करनीहोगी, ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनके लेनदेन, ग्राहकों के कारोबार और जोखिम प्रोफाइल; तथा निधियों/सम्पदा के स्रोतों के संबंध में उसकी जानकारी के अनुरूप हैं।

30. सघन निगरानी के लिए आवश्यक तथ्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न प्रकार के लेनदेनों की अवश्य निगरानी की जाएगी:

(क) आरटीजीएस सहित बड़े और जटिल लेनदेन जो असामान्य रूप के हैं, संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं और जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा वैध (औचित्यपूर्ण) प्रयोजन न हो।

(ख) ऐसे लेनदेन जो खातों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक हैं।

(ग) खाते में होने वाला भारी लेनदेन, जो कि उसमें जमा राशि के आकार से मेल नहीं खाता या ग्राहक की प्रोफ़ाइल के अनुरूप नहीं है।

(घ) मौजूदा और नए खोले गए खातों में तृतीय पक्ष के चेक, ड्राफ़्ट आदि उपलब्ध कराना, और उसके बाद बड़ी रकम की नकद निकासी करना।

सतत समुचित सावधानी के लिए, कंपनी उचित नवोन्मेषों को अपनाने पर विचार करेगी, जिसमें कृत्रिम आसूचना तथा मशीन शिक्षण (एआई तथा एमएल) तकनीक ताकि प्रभावी निगरानी में सहायता प्राप्त की जा सके।

31. निगरानी की सीमा ग्राहक की जोखिम श्रेणी के अनुरूप होनी चाहिए।

(क) खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा जो **छह महीने में कम से कम एक बार** करनी चाहिए और इस संबंध में संवर्धित समुचित सावधानी के उपाय लागू करने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाएगी।

(ख) कंपनी को मार्केटिंग फर्मों के खातों में होने वाले लेनदेन पर, विशेषकर मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) कंपनियों के खातों में होने वाले लेनदेन पर बारीकी से नज़र रखनी होगी।

स्पष्टीकरण : उच्च जोखिम वाले खातों की निगरानी और भी ज़्यादा सख़्ती से की जानी चाहिए।

32. केवाईसी का अद्यतनीकरण /आवधिक अद्यतनीकरण

कंपनी केवाईसी के आवधिक अद्यतनीकरण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए किसी डीडी के तहत एकत्र की गई जानकारी या डेटा को अद्यतन और प्रासंगिक रखा जाता है, विशेष रूप से जहां उच्च जोखिम है। तथापि, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए ऋण खाता खोलने की तारीख / अंतिम केवाईसी अद्यतनीकरण से हर दो साल में कम से कम एक बार, मध्यम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर आठ साल में एक बार और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए हर दस साल में एक बार आवधिक अद्यतनीकरण किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, किसी ऐसे व्यक्तिगत ग्राहक के संबंध में जिसे 'निम्न जोखिम' वाली श्रेणी में रखा गया है, कंपनी सभी लेनदेन की अनुमति देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि केवाईसी का अद्यतन या तो इसकी समय-सीमा पूरी होने के एक वर्ष के भीतर या 30 जून 2026 तक, इनमें से जो भी तिथि बाद में आए,पूरा कर लिया जाए। कंपनी ऐसे ग्राहकों के खातों की नियमित निगरानी करेगी। यह प्रावधान उन 'निम्न जोखिम' श्रेणी वाले व्यक्तिगत ग्राहकों पर भी लागू होगा, जिनके लिए केवाईसी के समय-समय पर होने वाले अद्यतन की समय-सीमा पहले ही निर्धारित हो चुकी है।

क) व्यक्तिगत ग्राहक:

i. केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में ग्राहक से एक स्व-घोषणा कंपनी के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर, डिजिटल चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाएगी (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि।

ii. पते में बदलाव: केवल ग्राहक के पते के विवरण में बदलाव के मामले में, नए पते की एक स्व-घोषणा ग्राहक से कंपनी के साथ पंजीकृत ग्राहक की ईमेल-आईडी, कंपनी के साथ पंजीकृत ग्राहक के मोबाइल नंबर के माध्यम से प्राप्त की जाएगी ,डिजिटल चैनल (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि, और घोषित पते को दो महीने के भीतर सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, जैसे पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स आदि।

iii. इसके अलावा, कंपनी ग्राहक द्वारा अद्यतन/आवधिक अद्यतन के समय ग्राहक द्वारा घोषित पते के साक्ष्य के उद्देश्य से नीति के अनुच्छेद 3 (xiv) में परिभाषित ओवीडी या डीम्ड ओवीडी की एक प्रति नीति के अनुच्छेद 3 (x) में परिभाषित किए गए अनुसार उसके समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त कर सकती है। लेकिन, इस प्रकार की अपेक्षाओं को संचालक मंडल या बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप से कंपनी द्वारा अपने आंतरिक केवाईसी में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा.

iv. ग्राहकों के खाते, जो खाता खोलते समय नाबालिग थे, उनके बालिग होने पर: उन ग्राहकों के मामले में जिनके लिए खाता खोला गया था, जब वे नाबालिग थे, उनके बड़े होने पर नए फोटो प्राप्त किए जाएंगे और उस समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सीडीडी दस्तावेज कंपनी के पास मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार उपलब्ध हैं। जहां भी आवश्यक हो, कंपनी ऐसे ग्राहकों के नए केवाईसी कर सकती है, अर्थात ऐसे ग्राहक जिनके नाबालिग होने पर खाता खोला गया था, उनके बालिग होने पर।

v) अप्रत्यक्ष माध्यम में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी का उपयोग अद्यतन/आवधिक अद्यतन के लिए किया जा सकता है। स्पष्ट करने के लिए, ऊपर उल्लिखित बिंदु संख्या 16 में निर्धारित शर्तें गैर-व्यक्तिगत मोड में आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन के मामले में लागू नहीं होती हैं।

vi) वर्तमान पते की घोषणा, यदि वर्तमान पता आधार के पते से भिन्न है, तो इस मामले में सकारात्मक पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आधार प्रमाणीकरण के लिए मोबाइल नंबर वही है जो ग्राहक की प्रोफ़ाइल में उनके पास उपलब्ध है, ताकि किसी भी धोखाधड़ी को रोका जा सके।

(ख) केवाईसी के अद्यतन एवं आवधिक अद्यतन की आसान प्रक्रिया

(i) स्व-घोषणाएँ – कंपनी को ग्राहकों से *"केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं"* या *"केवल पते के विवरण में बदलाव"* संबंधी स्व-घोषणा प्राप्त करने की अनुमति होगी। ऐसी स्व-घोषणा डिजिटल एवं गैर-डिजिटल माध्यमों से, जैसे कंपनी के साथ पंजीकृत ग्राहक के ईमेल / मोबाइल नंबर पर डिजिटल माध्यमों (जैसे ऑनलाइन मोड, कंपनी का मोबाइल ऐप), पत्र, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) / सेवा प्रदाता आदि के जरिए प्राप्त की जा सकती है।

(ii) केवाईसी रिकॉर्ड का अद्यतन / आवधिक अद्यतन कंपनी की ऐसी किसी भी शाखा में किया जा सकता है, जहाँ ग्राहक का खाता संचालित है।

(iii) केवाईसी के अद्यतन / आवधिक अद्यतन के उद्देश्य से आधार ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और वी-सीआईपी की अनुमति है।

(iv) कंपनी सीकेवाईसीआर से प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर ग्राहकों की केवाईसी जानकारी / रिकॉर्ड को अद्यतन कर सकती है।

ग) वैयक्तिक के अलावा अन्य ग्राहक:

i. केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं: कानूनी इकाई (एलई) ग्राहक की केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं होने की स्थिति में, इस संबंध में एलई ग्राहक से कंपनी के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी, एटीएम, डिजिटल चैनलों (जैसे ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से एक स्व-घोषणा प्राप्त करेंगे , इस संबंध में एलई द्वारा अधिकृत एक अधिकारी का पत्र, बोर्ड संकल्प आदि। इसके अलावा, कंपनी इस प्रक्रिया के दौरान सुनिश्चित करेगी कि उनके पास उपलब्ध लाभकारी स्वामित्व (बीओ) की जानकारी सटीक है और यदि आवश्यक हो, तो इसे यथासंभव अद्यतन रखने के लिए इसे अद्यतन करेगा।

ii. केवाईसी जानकारी में बदलाव: केवाईसी जानकारी में बदलाव के मामले में, कंपनी नए एलई ग्राहक के ऑन-बोर्डिंग के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के अनुसार ही होगी।

घ) **अतिरिक्त उपाय:** उपरोक्त के अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि,

मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज इसके पास उपलब्ध हैं। यह तब भी लागू होता है जब ग्राहक की जानकारी में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन कंपनी के पास उपलब्ध दस्तावेज मौजूदा सीडीडी मानकों के अनुसार नहीं हैं। इसके अलावा, यदि कंपनी के पास उपलब्ध सीडीडी दस्तावेजों की वैधता केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय समाप्त हो गई है, तो कंपनी नए ग्राहक के ऑन-बोर्डिंग के लिए लागू केवाईसी प्रक्रिया के समकक्ष केवाईसी प्रक्रिया शुरू करेगी।

ग्राहक का पैन विवरण, यदि कंपनी के पास उपलब्ध है, केवाईसी के आवधिक अद्यतन के समय जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से सत्यापित किया जाता है।

अद्यतन/ आवधिक अद्यतन करने के लिए ग्राहक से स्व-घोषणा सहित संबंधित दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्राप्ति की तारीख का उल्लेख करते हुए ग्राहक को रसीद प्रदान की जाती है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन के समय ग्राहकों से प्राप्त जानकारी/दस्तावेजों को कंपनी के रिकॉर्ड्स/डेटाबेस में तुरंत अद्यतन किया जाता है और केवाईसी विवरण के अद्यतन की तारीख का उल्लेख करते हुए एक सूचना ग्राहक को प्रदान की जाती है।

ङ) **शाखा में आवधिक अद्यतन**: ग्राहक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी संचालक मंडल या बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है, द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप से कंपनी के अपने आंतरिक केवाईसी के संदर्भ के अनुसार किसी भी शाखा में केवाईसी के अद्यतन/आवधिक अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।

कंपनी अपने विकल्प पर ओवीडी प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण/ऑफलाइन सत्यापन के लिए सहमति प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ग्राहक की भौतिक उपस्थिति पर जोर दे सकती है, जिसमें पर्याप्त कारण हैं कि अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए खाता धारक/धारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता है। आम तौर पर, ग्राहक द्वारा मेल/डाक आदि के माध्यम से अग्रेषित ओवीडी/सहमति स्वीकार्य होगी।

कंपनी केवाईसी के आवधिक अद्यतन के संबंध में जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाएगी। कोई भी अतिरिक्त और असाधारण उपाय, जो अन्यथा कंपनी द्वारा अपनाए गए उपरोक्त निर्देशों के तहत अनिवार्य नहीं हैं, जैसे कि हाल की तस्वीर प्राप्त करने की आवश्यकता, ग्राहक की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता, केवल कंपनी की शाखा जहां खाता खोला गया है,में केवाईसी के आवधिक अद्यतन की आवश्यकता, न्यूनतम निर्दिष्ट आवधिकता आदि की तुलना में केवाईसी अद्यतनीकरण की अधिक लगातार आवधिकता, कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड की किसी भी समिति द्वारा जिसे शक्ति प्रत्यायोजित की गई है विधिवत अनुमोदित आंतरिक केवाईसी नीति में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

च) कंपनी को ग्राहकों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि पीएमएल नियमों का पालन करने के लिए, व्यावसायिक रिश्ता/खाता-आधारित रिश्ता तय करते समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अद्यतन के मामले में; ग्राहकों को ऐसे दस्तावेज़ों का अद्यतन ब्यौरा कंपनी को प्रस्तुत करना होगा। कंपनी के

यहां रिकॉर्ड अपडेट करने के उद्देश्य से ग्राहकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करना होगा।

छ) **केवाईसी के आवधिक अद्यतन हेतु ज़रूरी सूचनाएँ:**

कंपनी अपने ग्राहकों को उनके केवाईसी अद्यतन के लिए पहले से सूचित करेगी। केवाईसी के आवधिक अद्यतन की नियत तिथि से पहले, कंपनी अपने ग्राहकों को उपलब्ध संचार माध्यमों / चैनलों के जरिए उपयुक्त अंतरालों पर कम-से-कम तीन बार पहले से सूचना देगी, जिनमें कम-से-कम एक सूचना पत्र द्वारा दी जाएगी, ताकि केवाईसी के आवधिक अद्यतन संबंधी आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नियत तिथि के बाद, कंपनी उन ग्राहकों को, जिन्होंने पहले से सूचना मिलने के बावजूद अभी तक इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है, उपयुक्त अंतरालों पर कम-से-कम तीन अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजेगी, जिनमें कम-से-कम एक अनुस्मारक पत्र द्वारा दिया जाएगा। सूचना / अनुस्मारक पत्र में, *अन्य बातों के अलावा,* केवाईसी अद्यतन के लिए आसानी से समझ में आने वाले निर्देश, आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए एस्केलेशन तंत्र, और समय पर केवाईसी अद्यतन न करने पर होने वाले संभावित परिणामों, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। ऐसी पहले से सूचना / अनुस्मारक जारी किए जाने की जानकारी, ऑडिट ट्रेल के लिए, कंपनी के सिस्टम में हर ग्राहक के सामने विधिवत रूप से दर्ज की जाएगी। कंपनी इस प्रक्रिया को अपने सिस्टम में तेज़ी से लागू करेगी।

(ध्यातव्य: कंपनी उपर्युक्त अनुस्मारक पत्र के अलावा, ग्राहकों को विभिन्न माध्यमों, जैसे पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल या पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी संचार भेज सकती है।)

i) अप्रत्यक्ष माध्यम से खोले गए खातों के लिए मोबाइल नंबर में बदलाव

कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक नीति होगी, जिसमें ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर में परिवर्तन संबंधी अनुरोधों को स्वीकारने के लिए समुचित जांच-पड़ताल की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया होगा।)

मौजूदा ग्राहकों के मामले में, कंपनी स्थाई खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60, ऐसी तिथि तक प्राप्त करेगी, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है, जिसके विफल होने पर कंपनी अस्थाई रूप से परिचालन बंद कर देगी। जब तक ग्राहक द्वारा स्थाई खाता संख्या या समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 जमा नहीं किया जाता है।

बशर्ते कि किसी ऋण खाते के परिचालन को अस्थाई रूप से बंद करने से पहले (यानी किसी और डेबिट को निलंबित करना), कंपनी ग्राहक को प्रवेश्य नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर देगी। इसके अलावा, कंपनी अपनी आंतरिक नीति में, उन ग्राहकों के लिए निरंतर सेवाओं के लिए उपयुक्त छूट शामिल करेगी, जो स्थाई खाता संख्या या उसके समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60, चोट, बीमारी या दुर्बलता, बुढ़ापा या अन्य किसी कारण प्रदान करने में असमर्थ हैं। हालांकि, ऐसे ग्राहक संबंध, संवर्धित निगरानी के अधीन होंगे।

बशर्ते यह भी कि यदि कंपनी के साथ मौजूदा ऋण-आधारित संबंध रखने वाला ग्राहक कंपनी को लिखित में देता है कि वह अपना स्थाई खाता संख्या या समकक्ष ई-दस्तावेज या फॉर्म संख्या 60 जमा नहीं करना चाहता है, तो कंपनी ऋण खाता (अर्थात किसी भी अन्य नामे (डेबिट) को निलंबित करें) बंद कर देगी और सभी दायित्वों को ग्राहक के लिए लागू पहचान दस्तावेज प्राप्त करके ग्राहक की पहचान स्थापित करने के बाद उचित रूप से निपटाया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, खाते के संबंध में "परिचालन की अस्थाई समाप्ति" का आशय, कंपनी द्वारा उस खाते के संबंध में सभी लेनदेन या गतिविधियों को अस्थाई रूप से निलंबित करना होगा, जब तक कि ग्राहक इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। परिसंपत्ति खातों जैसे ऋण खातों के मामले में, खाते में परिचालन बंद करने के उद्देश्य से, केवल क्रेडिट की अनुमति होगी।

भाग VI – संवर्धितऔर सरलीकृत समुचित सावधानी प्रक्रिया

क. **संवर्धित समुचित सावधानी**

33. **अप्रत्यक्ष ग्राहकों का ऋण खाता खोला जाना (आधार ओटीपी आधारित ऑन-बोर्डिंग के अलावा):** कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अप्रत्यक्ष ग्राहकों के संवर्धित समुचित सावधानी के लिए पहला भुगतान/संवितरण ग्राहक के केवाईसी-अनुपालित खाते के माध्यम से किसी अन्य कंपनी के साथ किया जाना है।

कंपनी को अप्रत्यक्ष ग्राहक की ऑनबोर्डिंग से कंपनी को ग्राहक से वास्तविक रूप से या वी-सीआईपी के माध्यम से मिले बिना ग्राहक के साथ रिश्ता स्थापित करने की सुविधा मिलती है। इस अनुच्छेद के प्रयोजन से ऐसे अप्रत्यक्ष मोड में डिजिटल चैनलों जैसे सीकेवाईसीआर, डिजिलॉकर, समकक्ष ई-दस्तावेज़ इत्यादि का उपयोग और गैर-डिजिटल मोड जैसे अपर अधिप्रमाणन अधिकारियों द्वारा प्रमाणित ओवीडी की प्रति प्राप्त करना शामिल है, जैसा कि एनआरआई और पीआईओ के मामलों में अनुमत है। अप्रत्यक्ष ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित ईडीडी उपाय किए जाएंगे(बिंदु संख्या **16** के संदर्भ में ग्राहक ऑनबोर्डिंग के अलावा):

क) यदि कंपनी ने वी-सीआईपी की प्रक्रिया लागू की है, तो इसे ग्राहक को रिमोट ऑनबोर्डिंग के लिए पहले विकल्प के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह दोहराया जाता है कि वी-सीआईपी के लिए निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करने वाली प्रक्रियाओं को आरबीआई मास्टर निर्देश के प्रयोजन से प्रत्यक्ष सीआईपी के समकक्ष माना जाएगा।

ख) धोखाधड़ी को रोकने के लिए, लेनदेन ओटीपी, लेनदेन अपडेट आदि के लिए वैकल्पिक मोबाइल नंबरों को ऐसे खातों के साथ सीडीडी के बाद लिंक नहीं किया जाएगा। लेनदेन केवल ऋण खाता खोलने के लिए उपयोग किए गए मोबाइल नंबर से ही अनुमत की जाएगी। कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में ऐसे ऋण खातों में मोबाइल नंबर बदलने के अनुरोधों से निपटने के लिए उचित समुचित सावधानी की मजबूत प्रक्रिया को परिभाषित किया है।

ग) वर्तमान पते का प्रमाण प्राप्त करने के अलावा, कंपनी ऋण खाते के परिचालन की अनुमति देने से पहले सकारात्मक पुष्टि के माध्यम से वर्तमान पते को सत्यापित करेगी। सकारात्मक पुष्टि, पता सत्यापन पत्र, संपर्क बिंदु सत्यापन, डिलिवरेबल्स इत्यादि जैसे माध्यमों से की जा सकती है।

घ) कंपनी ग्राहक से पैन प्राप्त करेगी और पैन को जारीकर्ता प्राधिकारी की सत्यापन सुविधा से सत्यापित किया जाएगा।

ङ) ऐसे खातों में पहला लेनदेन ग्राहक के मौजूदा केवाईसी-अनुपालन किए गए बैंक खाते से क्रेडिट करके किया जाएगा।

च) ऐसे ग्राहकों को उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अप्रत्यक्ष मोड में खोले गए खातों को तब तक बढ़ी हुई निगरानी के अधीन रखा जाएगा जब तक कि ग्राहक की पहचान प्रत्यक्ष या वी-सीआईपी के माध्यम से सत्यापित नहीं हो जाती।

34. **राजनैतिक रूप से जोखिम वाले व्यक्तियों (पीईपी) के ऋण खाते**

कंपनी के पास पीईपी (फिर चाहे ग्राहक हो या लाभभोगी स्वामी) के साथ संबंध स्थापित करने का विकल्प होगा बशर्ते कि, सामान्य ग्राहक अतिरिक्त समुचित सावधानी के अलावा निम्निलिखत कदम उठाए जाएंगे:

(क) कंपनी ने यह निर्धारित करने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया हुआ है कि क्या ग्राहक या लाभभोगी स्वामी पीईपी श्रेणी में आता है;

(ख) कंपनी द्वारा निधियों के स्रोतों/सम्पदा को तय करने के लिए उचित कदम उठाए हैं;

(ग) पीईपी के लिए ऋण खाता खोलने का अनुमोदन ग्राहक स्वीकरण नीति के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर लिया जाता है;

(घ) ऐसे सभी खातों की सतत संवर्धित निगरानी की जानी चाहिए;

(ङ) मौजूदा ग्राहक या मौजूदा ऋण खाते के हिताधिकारी स्वामी के बाद में पीईपी बनने की स्थिति में, व्यापार संबंध जारी रखने के लिए वरिष्ठ प्रबंधन की स्वीकृति प्राप्त की जाती है;

ख. ये निर्देश पीईपी के पारिवारिक सदस्यों या समीपवर्ती एसोसिएट्स पर भी लागू होंगे।

*स्पष्टीकरण:- इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, "राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति" (पीईपी) वे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी विदेशी देश द्वारा प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें राज्यों/सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी, या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के अधिकारी शामिल हैं।

35. व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले गए ग्राहकों के ऋण खाते:

व्यावसायिक मध्यवर्तियों के जरिए ग्राहकों के ऋण खाते खुलवाते समय कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत अनुमति दी जा सकती है कि:

(क) ग्राहकों की पहचान तब की जाएगी, जब एकल ग्राहक की ओर से पेशेवर की मध्यस्थता द्वारा ऋण खाता खोला जाएगा।

(ख) कंपनी के पास म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड या अन्य प्रकार के फंड जैसी संस्थाओं की ओर से पेशेवर मध्यवर्तियों द्वारा प्रबंधित "सामूहिक" खाते रखने का विकल्प होगा।

(ग) कंपनी ऐसे पेशेवर मध्यवर्तियों के ऋण खाते नहीं खोलेगी, जो किसी भी ग्राहक गोपनीयता से बंधे हैं जो कंपनी को ग्राहक विवरण के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करता है।

(घ) सभी हिताधिकारी स्वामियों की पहचान की जाएगी, जहां मध्यवर्तियों द्वारा रखी गई निधि कंपनी के स्तर पर मिश्रित नहीं होती है, और 'उप-खाते' होते हैं, उनमें से प्रत्येक किसी हिताधिकारी स्वामी का है, अथवा जहां ऐसी निधियाँ कंपनी के स्तर पर मिश्रित की जाती हैं, कंपनी ऐसे हिताधिकारी स्वामियों की पहचान करेगी।

(ङ) कंपनी अपने स्वविवेक पर किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी `ग्राहक संबंधी समुचित सावधानी' (सीडीडी) पर भरोसा करेगी, बशर्ते वह मध्यवर्ती विनियमित तथा पर्यवेक्षित संस्था हो और उसके पास ग्राहकों के "अपने ग्राहक को जानिए" अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था/प्रणाली हो।

(च) ग्राहक को जानने का अंतिम उत्तरदायित्व कंपनी होता है।

36. निम्न जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के लिए दस्तावेजों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक **II** में दी गई है।

37. कंपनी / फर्म और उनके निदेशकों / साझेदारों के लिए दस्तावेजों की सांकेतिक सूची अनुलग्नक **III** (i) एवं **III** (ii) में दी गई है।

अध्याय VII

अभिलेख प्रबंधन

38. पीएमएल अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ग्राहक खाते की सूचना के रखरखाव, परिरक्षण और रिपोर्टिंग के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। कंपनी निम्न करेगी,

(क) ग्राहक और कंपनी के बीच घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों लेनदेनों के लिए सभी आवश्यक अभिलेख संबंधित लेनदेन की तारीख से **कम से कम पांच वर्षों** तक अनुरक्षित किए जाएंगे।

(ख) ग्राहक का खाता खोलते समय तथा व्यावसायिक संबंध के दौरान दौरान उसकी पहचान और पते के संबंध में प्राप्त अभिलेख व्यावसायिक संबंध के समाप्त हो जाने के बाद **कम से कम पांच वर्ष** तक उचित रूप में सुरक्षित रखे जाएं।

(ग) अनुरोध करने पर सक्षम अधिकारियों को पहचान अभिलेख और लेनदेन डेटा तत्काल उपलब्ध कराएं;

(घ) धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम, 2005) के नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के उचित अभिलेखों को बनाए रखने की प्रणाली शुरू की जाए।

(ङ) पीएमएल नियम 3 के तहत निर्धारित लेनदेन के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी बनाए रखें, ताकि निम्नलिखित सहित व्यक्तिगत लेनदेन के पुनर्निर्माण की अनुमति मिल सके:

(i) लेनदेन की प्रकृति;

(ii) लेन-देन की राशि और वह मुद्रा जिसमें इसे मूल्यवर्गित किया गया था;

(iii) जिस तिथि को लेनदेन किया गया था; तथा

(iv) लेन-देन के पक्ष।

(च) सूचना के उचित रख-रखाव और परिरक्षण के लिए ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे डेटा को जब भी आवश्यक हो या सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर आसानी से और जल्दी से पुनर्प्राप्त किया जा सके;

(छ) अपने ग्राहक की पहचान और पते के अभिलेख और नियम 3 में निर्दिष्ट लेनदेन के संबंध में अभिलेख हार्ड या सॉफ्ट प्रारूप में बनाए रखें।

स्पष्टीकरण - इस अनुच्छेद के प्रयोजन से, अभिव्यक्ति "पहचान से संबंधित रिकॉर्ड", "पहचान रिकॉर्ड", आदि में पहचान डेटा, खाता फ़ाइलें, व्यावसायिक पत्राचार और किए गए किसी भी विश्लेषण के परिणाम के अद्यतन रिकॉर्ड शामिल होंगे।

39. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जो ग्राहक गैर-लाभकारी संगठन हैं, उनके मामले में ऐसे ग्राहकों का विवरण नीति आयोग के दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर पंजीकृत किया जाता है। यदि इसको पंजीकृत नहीं किया जाता है, तो कंपनी दर्पण (DARPAN) पोर्टल पर विवरण पंजीकृत करेगी। ग्राहक और कंपनी के बीच व्यावसायिक रिश्ता समाप्त होने या खाता बंद होने के बाद, जो भी बाद में हो, कंपनी ऐसे पंजीकरण रिकॉर्ड को पांच साल की अवधि तक बनाए रखेगी।

अध्याय VIII

वित्तीय आसूचना इकाई–भारत (एफआईयू- आईएनडी) को रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ

40. कंपनी निदेशक, वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 3 में संदर्भित सूचना उसके नियम 7 के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

स्पष्टीकरण: नियम 7 के उप-नियम 3 और 4 के संशोधन के संबंध में 22 सितंबर 2015 को अधिसूचित तीसरी संशोधन नियमावली के अनुसार निदेशक, एफआईयू- आईएनडी को नियम 3 के उप नियम(1) के विभिन्न अनुच्छेदों में संदर्भित लेनदेनों का पता लगाने के लिए विनियमित संस्थाओं को दिशानिर्देश जारी करने, सूचना के प्रकार के संबंध में उन्हें निदेश देने और सूचना की प्रस्तुति एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

41. एफआईयू- आईएनडी द्वारा रिपोर्टिंग प्रारूप तथा विस्तृत प्रारूप गाइड निर्धारित/जारी की गई है। एफआईयू-आईएनडी ने रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को निर्धारित रिपोर्टें तैयार करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए रिपोर्ट जेनेरेशन यूटिलिटी तथा रिपोर्ट वैलिडेशन यूटिलिटी विकसित की है जिसे ध्यान में रखा जाए। नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) / संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को इलेक्ट्रोनिक रूप से फाइल करने के लिए एफआईयू- आईएनडी ने अपनी वेबसाइट पर एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज डाली है जिसका उपयोग ऐसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपयोग किया जा सकता है जो अपने लेनदेन के सामान्य आँकड़ों से सीटीआर/एसटीआर बनाने के लिऐ उपयुक्त प्रौद्योगिकी टूल स्थापित नहीं कर पाए हैं। जिन विनियमित संस्थाओं की सभी शाखाएं अभी तक पूर्णत: कंप्यूटरीकृत नहीं हुई हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रधान अधिकारियों के पास ऐसी शाखाओं से लेनदेन के ब्यौरों को लेकर उन्हें एफआईयू-आइएनडी द्वारा अपनी वेबसाइट http://fiuindia.gov.in पर उपलब्ध कराई गयी सीटीआर/एसटीआर की एडिटेबल इलैक्ट्रॉनिक यूटिलिटिज की सहायता से इलैक्ट्रॉनिक फाइल के रूप में आंकड़े फीड करने की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।रिपोर्ट किए जाने वाले एसटीआर/सीटीआर की नमूना सूची पहचान के लिए अनुलग्नक-IV में संलग्न है।

42. निदेशक, एफआईयू-आईएनडी को सूचना देते समय, लेनदेन की रिपोर्टिंग में हुई प्रत्येक दिन की देरी अथवा नियम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के बाद गलत रूप से दर्शाये गए किसी लेनदेन को सुधारने में होने वाली प्रत्येक दिन की देरी को अलग से एक उल्लंघन माना जाएगा। कंपनी उन खातों के परिचालनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी जिनके संबंध में केवल संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दायर की गई है। कंपनी द्वारा एसटीआर प्रस्तुत करने के तथ्य को पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक को किसी भी स्तर पर गुप्त रूप से सचेत (टिपिंग ऑफ़) नहीं किया जाए।

43. प्रत्येक कंपनी, उसके निदेशक, अधिकारी और सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 3 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड के रखरखाव और निदेशक को जानकारी प्रस्तुत करने का तथ्य गोपनीय रखा जाता है। हालांकि, ऐसी गोपनीयता की आवश्यकता लेन-देन और गतिविधियों के किसी भी विश्लेषण के मास्टर निर्देश की अनुच्छेद 4 (b) के तहत जानकारी साझा करने में बाधा नहीं बनेगी, जो असामान्य प्रतीत होती है, और यदि ऐसा कोई विश्लेषण किया गया है।

44. संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और रिपोर्टिंग को सक्षम करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त सिस्टम, प्रक्रियाएं और कार्यवाहियां होंगी, जिसमें व्यवसाय की आवश्यकताओं के आधार पर और उपयुक्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल हैं।

संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और लेनदेनों के संदेहास्पद होने से संबंधित रिपोर्टिंग करने के लिए सशक्त सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा, जो जोखिम वर्गीकरण और ग्राहकों की अद्यतन प्रोफाइल के साथ लेनदेन के मेल न करने पर चेतावनी देगा।

अध्याय IX
अंतरराष्ट्रीय करारों के तहत अपेक्षाएँ / बाध्यताएँ

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क–

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 के तहत बाध्यताएं:-

45. कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए और उसके संशोधनों के अनुसार उनके पास आंतकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए जिसके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो। ऐसी दो सूची निम्नानुसार हैं:

(क) **"आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची", जो सुरक्षा परिषद के संकल्प 1267 / 1989 / 2253 के अनुसरण में स्थापित एवं अनुरक्षित की गई है**, जिसमें अल-कायदा से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं। यह सूची www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list पर उपलब्ध है।

(ख) सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1988 (2011) के अनुसार स्थापित और अनुरक्षित "तालिबान प्रतिबंध सूची", जिसमें तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के नाम शामिल हैं, https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials पर उपलब्ध है।

कंपनी समय-समय पर संशोधित, आतंकवाद रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियों का संदर्भ ग्रहण करना भी सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त सूचियाँ, अर्थात यूएनएससी प्रतिबंध सूचियाँ और आतंकवाद रोकथाम और दमन (सुरक्षा परिषद संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूचियों में उपलब्ध सूचियाँ जिनको समय-समय पर संशोधित किया जाता है, उनको दैनिक आधार पर सत्यापित किया जाएगा और सूचियों में परिवर्धन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में कंपनी द्वारा जरूरी संशोधन किया जाएगा ताकि सावधानीपूर्वक अनुपालन किया जा सके।

46. यूएपीए अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी, 2021 और समय - समय पर संशोधन के तहत आवश्यकतानुसार गृह मंत्रालय को सलाह देने के अलावा, सूची में किसी भी व्यक्ति/संस्था से मिलते-जुलते ऋण खातों का विवरण एफआईयू-आईएनडी को सूचित किया जाएगा।

47. उपरोक्त के अलावा, समय-समय पर किसी अन्य क्षेत्राधिकार/संस्थाओं के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अन्य यूएनएससीआर पर भी ध्यान दिया जाएगा।

48. विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के तहत परिसंपत्तियों/ऋण खातों को फ्रीज करना

यूएपीए के तहत वित्तीय विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा और जहां तक लागू हो, उसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

विशेष रूप से, कंपनी निम्नलिखित के लिए आवश्यक लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी:

(i) अद्यतन पदनामित सूचियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखना और नियमित आधार पर दिए गए मापदंडों की जांच करना ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्ति या संस्थाएं, जिन्हें इसके बाद पदनामित व्यक्तियों / संस्थाओं के रूप में संदर्भित किया गया है, उनके पास निधि वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन या बैंक खातों, स्टॉक या बीमा पॉलिसियों आदि के रूप में होने वाली संबंधित सेवाएं हैं।

(ii) यदि उनके किसी ग्राहक का विवरण पदनामित व्यक्तियों/संस्थाओं के विवरण से मेल खाता है, तो कंपनी ऐसे ग्राहक का पता लगाने के 24 घंटे के भीतर तुरंत, निधियों, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन या संबंधित सेवाएं का पूर्ण विवरण, जो ऐसे ग्राहक द्वारा अपनी पुस्तकों में संयुक्त रूप से दर्ज की जाती हैं, सचिव (सीटीसीआर), गृह मंत्रालय, फैक्स नंबर 011-23092569 पर और टेलीफोन या 011- 23092736 पर भी सूचित करे। डाक द्वारा भेजे जाने के अलावा विवरण आवश्यक रूप से ई-मेल आईडी: jsctcr-mha@gov.in.पर भेजा जाना चाहिए।

(iii) कंपनी ऊपर (ii) में उल्लिखित संचार की एक प्रति उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के यूएपीए नोडल अधिकारी को भी भेजेगी, जहां ऋण खाता है और नियामकों और एफआईयू-आईएनडी को भी भेजेगी, जैसा भी मामला हो।

(iv) यदि पदनामित व्यक्तियों/संस्थाओं के विवरण के साथ किसी भी ग्राहक का मिलान संदेह से परे है, तो कंपनी संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), गृह मंत्रालय को सूचित करते हुए पदनामित व्यक्तियों को वित्तीय लेनदेन करने से रोकेगी। फैक्स नंबर 011-23092569 पर और 011-23092736 पर टेलीफोन पर भी सूचित करेगी। विवरण डाक द्वारा भेजे जाने के अलावा आवश्यक रूप से ई-मेल आईडी: jsctcr-mha@gov.in पर सूचित किया जाना चाहिए।

(v) कंपनी एफआईयू-आईएनडी के साथ संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दाखिल करेगी, जिसमें ऊपर दिए गए पैराग्राफ (ii) के तहत कवर किए गए खातों में सभी लेनदेन को कवर किया जाएगा, जो निर्धारित प्रारूप के अनुसार किए गए या प्रयासित हैं।

(vi) फ्रीज यथोचित के रूप में लागू होगा। ऋण खातों के मामले में, किसी और नामे (डेबिट) की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा जमा के मामले में, धनराशि रोक दी जाएगी।

निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों या व्यक्तियों/संस्थाओं की संबंधित सेवाओं कोसत्यापन पर फ्रीजिंग तंत्र से अनजाने में प्रभावित करने की प्रक्रिया, कि व्यक्ति या संस्था एक पदनामित व्यक्ति नहीं है।

(क) कोई भी व्यक्ति या संस्था, यदि प्रमाणित करने के लिए इनके पास सबूत है कि मौजूदा जमा या उनके स्वामित्व/धारित ऋण खाते को अनजाने में फ्रीज कर दिया गया है, तो वे लिखित में अपेक्षित सबूत देते हुए आवेदन करेंगे।

(ख) यदि कंपनी को ऐसा कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो वह निधियों, वित्तीय परिसंपत्ति या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं की सूचना देकर, किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दी गई संबंधित संपत्तियों के पूर्ण विवरण के साथ आवेदन की प्रति को दो कार्य दिवसों के भीतर एमएचए के सीटीसीआर डिवीजन के नोडल अधिकारी को अनजाने में फ्रीज करने की सूचना देगा और अग्रेषित करेगा।

(ग) संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए, एमएचए के सीटीसीआर डिवीजन के यूएपीए नोडल अधिकारी होने के नाते, ऐसे सत्यापन का उत्तरदायी होगा, जो व्यक्ति / संस्था द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आवश्यक हो सकता है, और यदि संतुष्ट हो, तो कंपनी सहित अन्य पक्षों को सूचित करते हुए, बिना किसी विलंब के, ऐसे आवेदक के स्वामित्व/धारित निधियों, वित्तीय परिसंपत्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को मुक्त करने का आदेश पारित करेगा। हालांकि, यदि किसी कारण से 5 कार्य दिवसों के भीतर संपत्तियों को अनफ्रीज करने का आदेश पारित करना संभव नहीं है, तो सीटीसीआर डिवीजन के यूएपीए नोडल अधिकारी आवेदक को सूचित करेंगे।

49. सामूहिक संहार के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी व्यवस्था (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 (डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005) के तहत दायित्व:

(क) कंपनी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 01 सितंबर, 2023 के आदेश के तहत डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 (आरबीआई मास्टर निदेश का अनुलग्नक II) की धारा 12क के संदर्भ में निर्धारित "सामूहिक संहार के हथियार (डब्ल्यूएमडी) और उनकी डिलीवरी व्यवस्था प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 12क के कार्यान्वयन की प्रक्रिया" का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

(ख) उपरोक्त आदेश के पैराग्राफ 3 के अनुसार, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि यदि व्यक्ति/संस्था का ब्यौरा निर्दिष्ट सूची में शामिल ब्यौरे से मेल करता है, तो उसके साथ लेन-देन न किया जाए।

(ग) इसके अलावा, कंपनी ग्राहक के साथ रिश्ता तय करते समय और समय-समय पर यह सत्यापित करने के लिए दिए गए मापदंडों के आधार पर जांच करेगी कि क्या निर्दिष्ट सूची में व्यक्तियों और संस्थाओं के पास एनबीएफ़सी के साथ खाते आदि के रूप में कोई फंड, वित्तीय संपत्ति आदि है अथवा नहीं।

(घ) उपरोक्त मामलों में मिलान के मामले में, कंपनी तुरंत केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) को शामिल फंड, वित्तीय संपत्तियों या

आर्थिक संसाधनों के पूर्ण ब्यौरे के साथ लेनदेन ब्यौरे की जानकारी देगी, जिसे डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। जानकारी की एक प्रति राज्य नोडल अधिकारी, जहां खाता/लेनदेन है और आरबीआई को भेजी जाएगी। कंपनी एफआईयू-आईएनडी के पास एक एसटीआर दायर करेगी जिसमें ऊपर बताए गए खातों में किए गए, किए गए या करने का प्रयास किए गए सभी लेनदेन शामिल होंगे। कृपया नोट करें कि आदेश के पैराग्राफ 1 के अनुसार, निदेशक, एफआईयू-इंडिया को सीएनओ के रूप में नामित किया गया है।

(ङ) कंपनी एफआईयू-इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध समय-समय पर संशोधित निर्दिष्ट सूची को देख सकती है।

(च) यदि संदेह से परे विश्वास करने के कारण हैं कि ग्राहक द्वारा रखी गई धनराशि या संपत्ति डब्ल्यूएमडी अधिनियम, 2005 की धारा 12 ए की उप-धारा (2) के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आती है, तो कंपनी ऐसे व्यक्ति/इकाई को वित्तीय लेनदेन करने से रोकने के साथ-साथ बिना किसी देरी के सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा सूचित करके रोकेगी।

(छ) यदि कंपनी को सीएनओ से धारा 12ए के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश प्राप्त होता है, तो कंपनी बिना किसी देरी के आदेश का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(ज) आदेश के पैराग्राफ 7 के अनुसार धनराशि आदि को अनफ्रीज करने की प्रक्रिया देखी जाएगी। तदनुसार, अनफ्रीजिंग के संबंध में किसी व्यक्ति/इकाई से प्राप्त आवेदन की प्रति कंपनी द्वारा फ्रीज की गई संपत्ति के पूरे विवरण के साथ, जैसा कि आवेदक द्वारा दिया गया है, सीएनओ को ईमेल, फैक्स और डाक द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर भेज दी जाएगी।

50. कंपनी हर दिन, https://www.mea.gov.in/Implementation-of-UNSC-Sanctions-DPRK.htm पर उपलब्ध 'यूएनएससीआर 1718 नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की प्रतिबंध सूची' का सूची में परिवर्धन, विलोपन या अन्य परिवर्तनों के संदर्भ में किसी भी संशोधन को ध्यान में रखते हुए, सत्यापन करेगी ताकि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित 'डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ऑर्डर, 2017 पर सुरक्षा परिषद के संकल्प का कार्यान्वयन' का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके।

50क. उपरोक्त के अलावा, कंपनी - (ए) अन्य यूएनएससीआर और (बी) यूएपीए, 1967 की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में सूचियों और यूएपीए की धारा 51क और डब्ल्यूएमडी अधिनियम की धारा 12क के कार्यान्वयन से संबंधित सरकारी आदेशों के अनुपालन के लिए इसमें किसी भी संशोधन को ध्यान में रखेगी।

50ख. जब भी किसी अंतरराष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन, जिसका भारत सदस्य है और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है, द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर कंपनी जवाबी कदम उठाएगी।

51. क्षेत्राधिकार, जो एफएटीएफ अनुशंसाओं को लागू नहीं करते या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं।

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर परिचालित एफएटीएफ विवरण, और उन देशों की पहचान के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, जो एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करते या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं, पर विचार किया जाएगा। एफएटीएफ स्टेटमेंट में शामिल क्षेत्राधिकारों के एएमएल/सीएफटी प्रशासन में कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा जाएगा। कंपनी उन देशों के प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों (वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के लिए उन्नत समुचित सावधानी उपायों को लागू करेगी, जो जोखिमों के लिए प्रभावी और आनुपातिक हैं, जिनके लिए एफएटीएफ द्वारा इसकी मांग की गई है।

(ख) उन देशों के व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो एफएटीएफ की सिफारिशों और एफएटीएफ कथनों में शामिल क्षेत्राधिकारों को लागू नहीं करते हैं या अपर्याप्त रूप से लागू करते हैं।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त (क) तथा (ख) में संदर्भित प्रक्रिया कंपनी को एफएटीएफ कथनों में उल्लिखित देशों और क्षेत्राधिकारों के साथ वैध व्यापार और व्यावसायिक लेनदेन करने से नहीं रोकती है।

(ग) एफएटीएफ कथनों में शामिल क्षेत्राधिकार से व्यक्तियों (विधिक व्यक्तियों और अन्य वित्तीय संस्थानों सहित) के साथ लेनदेन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य और एफएटीएफ सिफारिशों को लागू नहीं करने वाले या अपर्याप्त रूप से लागू होने वाले देशों की जांच की जाएगी, और सभी दस्तावेजों के साथ लिखित निष्कर्षों को बनाए रखा जाएगा और अनुरोध पर रिज़र्व बैंक/अन्य संबंधित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

52. मंजूरी संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नाम की स्क्रीनिंग के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कंपनी को नवीनतम तकनीकी नवाचारों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अध्यायX

अन्य अनुदेश

53. गोपनीयता संबंधी दायित्व और सूचनाओं का आदान -प्रदान:

(क) कंपनी ग्राहक की सूचना के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगी जो कंपनी और ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंधों से उत्पन्न होती है।

(ख) ऋण खाता खोलने के उद्देश्य से ग्राहकों से एकत्र की गई सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ग्राहक की स्पष्ट अनुमति प्राप्त किए बिना क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसके विवरण का खुलासा नहीं किया जाएगा।

(ग) सरकार और अन्य एजेंसियों से डेटा/सूचना के अनुरोधों पर विचार करते समय, कंपनी खुद को संतुष्ट करेगी कि मांगी जा रही जानकारी ऐसी प्रकृति की नहीं है जो कंपनी के लेनदेन में गोपनीयता से संबंधित कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी।

(घ) उक्त नियम के अपवाद निम्नानुसार होंगे:

i. जहां प्रकटीकरण विधिक बाध्यता के अंतर्गत है

ii. जहां प्रकटीकरण जनता के प्रति एक कर्तव्य है,

iii. जहाँ प्रकटीकरण कंपनी के हित में अपेक्षित हो, और

iv. जहां प्रकटीकरण ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति से किया गया हो।

53क. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के उपबंधों का अनुपालन

कंपनी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, कंपनी गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सलाह के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी निर्देश/संचार का सावधानीपूर्वक अनुपालन भी सुनिश्चित करेगी।

54. सीडीडी क्रियाविधि तथा केंद्रीय के वाई सी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर के साथ सूचना साझा करना

(क) पीएमएल नियमों के नियम 9(1ए) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को हासिल करेगी और ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध शुरू होने के 10 दिनों के भीतर सीकेवाईसीआर पर अपलोड करेगी।

(ख) केवाईसी डेटा अपलोड करने के लिए परिचालन दिशानिर्देश सीईआरएसएआई द्वारा जारी किए गए हैं।

(ग) कंपनी 'व्यक्तियों' और 'कानूनी संस्थाओं' (एलई) के लिए तैयार किए गए केवाईसी टेम्पलेट्स के अनुसार, जैसा भी मामला हो, नियमों में उल्लिखित तरीके से सीकेवाईसीआर के साथ साझा करने के लिए केवाईसी जानकारी प्राप्त करेगी। टेम्प्लेट को आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और सीईआरएसएआई द्वारा जारी किया जा सकता है।

(घ) सीकेवाईसीआर का 'लाइव रन' 15 जुलाई, 2016 से चरणबद्ध तरीके से नए 'व्यक्तिगत खातों' के साथ शुरू हुआ।

एनबीएफ़सी को पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीकेवाईसीआर के साथ 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद खोले गए सभी नए व्यक्तिगत खातों से संबंधित केवाईसी डेटा अपलोड करना शुरू करना आवश्यक था।

(ङ) कंपनी 1 अप्रैल, 2021 को या उसके बाद खोले गए एलई के खातों से संबंधित केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसीआर के साथ उपरोक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार अपलोड करेगी। केवाईसी रिकॉर्ड को सीईआरएसआईए द्वारा जारी एलई टेम्पलेट के अनुसार अपलोड करना होगा।

(च) एक बार सीकेवाईसीआर द्वारा केवाईसी पहचानकर्ता तैयार हो जाने पर, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इसे व्यक्ति/एलई को सूचित किया जाए, जैसा भी मामला हो।

(छ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी केवाईसी रिकॉर्ड उत्तरोत्तर रूप से सीकेवाईसीआर पर अपलोड किए गए हैं, कंपनी क्रमशः (च) और (छ) में उपर्युक्त तिथियों से पहले खोले गए व्यक्तिगत ग्राहकों और एलई के खातों से संबंधित केवाईसी डेटा को इस नीति के अनुच्छेद 32 में निर्दिष्ट आवधिक अद्यतनीकरण के समय, या उससे पहले, जब ग्राहक से अद्यतन केवाईसी जानकारी प्राप्त/प्राप्त की जाती है, को अपडेट करेगी। इसके अतिरिक्त, जब भी कंपनी किसी भी ग्राहक से इस अनुच्छेद के खंड (j) के अंतर्गत या पीएमएल नियमों के नियम 9 (1C) के अनुसार कोई अतिरिक्त अथवा अद्यतन जानकारी प्राप्त करती है, तो कंपनी सात दिनों के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अवधि के भीतर, अद्यतन जानकारी सीकेवाईसीआर को उपलब्ध कराएगी; और सीकेवाईसीआर, मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्डों को सीकेवाईसीआर में अद्यतन करेगा। इसके बाद, सीकेवाईसीआर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं को सूचित करेगा, जिन्होंने संबंधित ग्राहक के साथ लेनदेन किया है, और उन्हें उक्त ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड के अद्यतन होने की जानकारी देगा। जब सीकेवाईसीआर किसी मौजूदा ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड में हुए अद्यतन के बारे में कंपनी को सूचित कर देता है, तो कंपनी सीकेवाईसीआर से अद्यतन केवाईसी रिकॉर्ड पुनर्प्राप्त करेगी और कंपनी द्वारा रखे गए केवाईसी रिकॉर्ड को अद्यतन करेगी।

(ज) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आवधिक अद्यतनीकरण के दौरान, ग्राहकों को वर्तमान सीडीडी मानक में माइग्रेट किया जाए।

(झ) जहाँ किसी ग्राहक के साथ खाता-आधारित संबंध स्थापित करने, केवाईसी अद्यतन/आवधिक अद्यतन करने या ग्राहक की पहचान के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ग्राहक से केवाईसी पहचानकर्ता मांगेगी या यदि उपलब्ध हो, तो सीकेवाईसीआर से केवाईसी पहचानकर्ता पुनर्प्राप्त करेगी, और ऐसे केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेगी तथा ग्राहक से वही केवाईसी रिकॉर्ड या सूचना अथवा कोई भी अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगी, जब तक कि -

(i) सीकेवाईसीआर के अभिलेख में मौजूद ग्राहक की सूचना में परिवर्तन नहीं हो; या

(ii) पुनर्प्राप्त किया गया केवाईसी रिकॉर्ड या सूचना अपूर्ण न हो अथवा वर्तमान में लागू केवाईसी मानदंडों के अनुरूप न हो; या

(iii) डाउनलोड किए गए दस्तावेजों की वैधता अवधि समाप्त न हो चुकी हो; या

(iv) ग्राहक की पहचान या पते (वर्तमान पता सहित) को सत्यापित करने के लिए, या संबर्धित समुचित सावधानी बरतने या ग्राहक की उपयुक्त जोखिम प्रोफ़ाइल बनाने के लिए कंपनी इसे आवश्यक न समझती हो।

तदनुसार, ग्राहक को ऑनबोर्ड करते समय कंपनी, ग्राहक की सहमति से सीकेवाईसीआर से ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करेगी, और ग्राहक से वही रिकॉर्ड दोबारा जमा करने की अपेक्षा नहीं करेगी, जब तक कि सीकेवाईसीआर के पास उपलब्ध रिकॉर्ड में कोई बदलाव न हुआ हो।

स्पष्टीकरण: जिस विनियमित संस्था (आरई) ने ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड को आखिरी बार सीकेवाईसीआर में अपलोड या अद्यतन किया हो, वही ग्राहक की पहचान और/या पते के सत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी, जैसा भी लागू हो। तदनुसार, सीकेवाईसीआर से ऐसे रिकॉर्ड डाउनलोड कर उन पर भरोसा करने वाली किसी भी एनबीएफसी को ग्राहक की पहचान और/या पते की प्रामाणिकता का पुनः सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड मौजूदा हों तथा धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 / पीएमएल नियम, 2005 के अनुरूप हों। सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड पर भरोसा करने वाली एनबीएफसी, ग्राहक की पहचान और/या पते के सत्यापन के सिवाय, सीडीडी प्रक्रिया के सभी पहलुओं और इन निदेशों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी बनी रहेगी।

55. विदेशी खातों संबंधी कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) और सामान्य रिपोर्टिंग मानक" (सीआरएस) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता

एफएटीसीए और सीआरएस के तहत, कंपनी, जहां तक उस पर लागू होता है, आयकर नियम 114F, 114G और 114H के प्रावधानों का पालन करेगी और यह निर्धारित करेगी कि क्या वे एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान हैं जैसा कि आयकर नियम 114F में परिभाषित किया गया है और यदि ऐसा है, तो रिपोर्टिंग आवश्यकताएं के अनुपालन के लिए निम्नलिखित कदम उठाएगी:

(क) आयकर विभाग के संबंधित ई-फिलिंग पोर्टल पर रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों के रूप में लिंक https://incometaxindiaefiling.gov.in/ पोस्ट लॉगिन ->माई अकाउंट ->रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान के रूप में पंजीकरण किया जाएगा।

(ख) फॉर्म 61बी या 'शून्य' रिपोर्ट अपलोड करके 'पदनामित निदेशक' के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करें, जिसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा तैयार किए गए स्कीमा को संदर्भित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: कंपनी, नियम 114एच के संदर्भ में रिपोर्ट करने योग्य खातों की पहचान करने के उद्देश्य से फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) द्वारा अपनी वेबसाइट http://www.fedai.org.in/RevaluationRates.aspx पर समुचित सावधानी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रकाशित स्पॉट रेफरेंस दरों का उल्लेख करेगी।

(ग) नियम 114एच में यथा उपबंधित समुचित सावधानी प्रक्रिया को पूरा करने और उसे रिकॉर्ड करने और बनाए रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढांचे का विकास करेगी।

(घ) आईटी ढांचे और आयकर नियमों के नियम 114एफ, 114जी और 114एच के अनुपालन के लिए ऑडिट की प्रणाली विकसित की जाएगी।

(ङ) अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पदनामित निदेशक या किसी अन्य समकक्ष अधिकारी के तहत "उच्च स्तरीय निगरानी समिति" या जोखिम समिति का गठन किया जाएगा।

(च) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी किए गए अद्यतन निर्देशों/नियमों/मार्गदर्शन नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और वेबसाइट http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx. पर उपलब्ध कराएगी। कंपनी निम्नलिखित पर ध्यान दे सकती है:

i. एफएटीसीए और सीआरएस पर अद्यतन मार्गदर्शन नोट

ii. नियम 114एच (8) के तहत 'वित्तीय खातों को बंद करने' पर एक प्रेस विज्ञप्ति।

भुगतान लिखत प्रस्तुत करने की अवधि

56. खातों और 'धनशोधन का माध्यम' का परिचालन

एचएफसी के रूप में जहां तक कंपनी से संबंधित और उस पर लागू होता है, खाता खोलने और लेनदेनों की निगरानी संबंधी अनुदेशों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए ताकि ''धनशोधन के माध्यमों (मनी म्यूल)'' के कार्यकलापों को कम किया जा सके जो अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी वाली योजनाओं (उदाहरणार्थ फिशिंग तथा पहचान की चोरी) से होने वाली आय का शोधन करने के लिए `धनशोधन के माध्यम' के रूप में कार्य करने वाले कुछ व्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो धनशोधन का माध्यम बना दिये गए ऐसे तीसरे पक्षकारों को भर्ती कर जमा खातों तक अवैध रूप से पहुँच बना लेते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों के ऋण खातों के संबंध में समुचित सावधानी उपाय और सावधानीपूर्वक निगरानी करेगी और एफआईयू-आईएनडी को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने सहित उचित कार्रवाई

करेगी। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक और लागू सभी प्रासंगिक सावधानियां बरती जानी चाहिए।

57. आदाता खाता चेक का संग्रहण

ग्राहक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आदाता खाता चेक का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। बैंक अपने विवेकानुसार 50,000/- रुपए से अनधिक राशि के ऐसे आदाता खाता चेक का संग्रहण अपने ग्राहकों के खातों में जमा करने के लिए कर सकते हैं जो सहकारी समितियां हों, बशर्ते ऐसे चेकों के आदाता उन सहकारी ऋण समितियों के ग्राहक हों।

58. क) व्यक्तिगत ग्राहकों / कंपनियों / फर्मों / एलएलपी / व्यक्तियों के संघ (एओपी) / व्यक्तियों के निकाय (बीओआई)/उनके निदेशकों / साझेदारों / ट्रस्टियों आदि (जिसमें मौजूदा व्यक्तिगत ग्राहक भी सम्मिलित हैं) के साथ नए संबंध स्थापित करते समय एक विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित किया जाएगा।

ख) कंपनी, अपने विकल्प के अनुसार, सभी वॉक-इन/ यदा-कदा आने वाले ग्राहकों को यूसीआईसी जारी नहीं करेगी, बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे वॉक-इन ग्राहकों की पहचान करने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है, जिनके साथ वे बार-बार लेनदेन करते हैं तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हे यूसीआईसी जारी किया जात है।

59. एचएफसी के रूप में लागू सीमा तक ऋण खातों से संबंधित **नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत-**

नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरों के किसी भी धन-शोधन और वित्तपोषण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नए उत्पादों/सेवाओं/प्रौद्योगिकियों को पेश करने से पहले समय-समय पर जारी उपयुक्त केवाईसी प्रक्रियाओं को एचएफसी के रूप में कंपनी के लिए प्रासंगिक सीमा तक विधिवत लागू किया जाएगा।

कंपनी एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और आकलन करेगी जो नए प्रोडक्ट् के विकास और नए डिलीवरी व्यस्था सहित नई व्यावसायिक प्रथाओं और नए और पहले से मौजूद दोनों प्रोडक्ट्स के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं।

इसके अलावा, कंपनी यह सुनिश्चित करेगी:

(क) ऐसे प्रोडक्ट्स, प्रथाओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकियों के लॉन्च या उपयोग से पहले एमएल/टीएफ जोखिम मूल्यांकन करना; और

(ख) उचित ईडीडी उपायों और लेनदेन निगरानी आदि के माध्यम से जोखिमों को प्रबंधित और कम करने के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

60. स्थाई खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना

समय-समय पर संशोधित कंपनी पर लागू आयकर नियम 114बी के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन करते समय ग्राहकों का स्थाई खाता संख्या (पैन) या समकक्ष ई-दस्तावेज प्राप्त और सत्यापित किया जाएगा। फॉर्म 60 उन व्यक्तियों से प्राप्त किया जाएगा जिनके पास पैन या समकक्ष ई-दस्तावेज नहीं है।

61. तृतीय पक्ष के उत्पादों की बिक्री-

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार तृतीय पक्ष के उत्पादों को बेचते समय एजेंट के रूप में कार्य करने वाली कंपनी इस नीति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पहलुओं का पालन करेगी:

(क) वॉक-इन ग्राहक की पहचान और पते को इस नीति की आवश्यकताओं के अनुसार पचास हजार रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए सत्यापित किया जाएगा।

(ख) तृतीय पक्ष के उत्पादों और संबंधित रिकॉर्ड की बिक्री के लेनदेन विवरण इस नीति की आवश्यकताओं के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

(ग) वॉक-इन ग्राहकों सहित ग्राहकों के साथ तृतीय पक्ष के उत्पादों से संबंधित लेनदेन के संबंध में सीटीआर / एसटीआर दाखिल करने के उद्देश्य से अलर्ट कैप्चर करने, उत्पन्न करने और विश्लेषण करने में सक्षम एएमएल सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा।

(घ) पचास हजार रुपये और उससे अधिक के लेनदेन केवल किसके द्वारा किए जाएंगे:

- ग्राहकों के खाते में या चेक के बदले डेबिट; तथा
- खाता-आधारित और आगंतुक (वॉक-इन) ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पैन को प्राप्त करना एवं उसका सत्यापन करना।

(ङ) उपरोक्त 'डी' में निर्देश कंपनी के अपने उत्पादों की बिक्री, क्रेडिट कार्ड के देय भुगतान/प्रीपेड/ट्रैवल कार्डों की बिक्री और रीलोडिंग और पचास हजार रुपये और उससे अधिक के किसी भी अन्य उत्पाद पर भी लागू होंगे।

62. कर्मचारियों की भर्ती और कर्मचारी प्रशिक्षण

(क) कार्मिक भर्ती/भर्ती प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में 'अपने कर्मचारी/कर्मचारी को जानें' नीति सहित पर्याप्त स्क्रीनिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा।

(ख) कंपनी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों के संबंध में कार्य करने वाले/तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों में: उच्च सत्यनिष्ठा और नैतिक मानक, मौजूदा केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मानकों की अच्छी समझ, प्रभावी संचार कौशल और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलते केवाईसी/एएमएल/सीएफटी परिदृश्य के साथ अपडेट बने रहने की क्षमता हो। कंपनी एक ऐसा वातावरण विकसित करने का भी प्रयास करेगी जो कर्मचारियों के बीच खुले संचार और उच्च सत्यनिष्ठा को बढ़ावा दे।

(ख) वर्तमान कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की सतत व्यवस्था की जाएगी ताकि स्टाफ सदस्य केवाईसी/ एएमएल/सीएफटी नीति के बारे समुचित रूप से प्रशिक्षित हो सकें। फ्रंटलाइन स्टाफ, अनुपालन स्टाफ और नए ग्राहकों को सेवा देने वाले स्टाफ सदस्यों को उनके कार्य के अपेक्षानुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। फ्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहक शिक्षा की कमी के कारण उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। ऑडिट कार्य के लिए उचित स्टाफ दिया जाए, जो प्रशिक्षित हो और कंपनी की केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति, विनियम और संबंधित मामलों से अच्छी तरह परिचित हो।

अनुलग्नक I

<u>डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया</u>

क. कंपनी जब तक संभव हो, डिजिटल केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया के लिए एक एप्लिकेशन विकसित करेगी, जो उनके ग्राहकों के केवाईसी करने के लिए ग्राहक संपर्क बिंदुओं पर उपलब्ध कराया जाएगा और केवाईसी प्रक्रिया केवल कंपनी के इस प्रमाणित आवेदन के माध्यम से की जाएगी, जैसा कि जब तक संभव हो। कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित क्रेडिट नीति के अनुसार सभी प्रकार के ग्राहकों से एकत्र किए गए केवाईसी दस्तावेजों को वैध और बाध्यकारी माना जाएगा, जो आरबीआई/एनएचबी द्वारा अधिसूचित और परिचालित नियामक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन होगा।

ख. एप्लिकेशन की पहुंच कंपनी द्वारा नियंत्रित की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा न किया जाए। एप्लिकेशन को कंपनी द्वारा अपने अधिकृत अधिकारियों को दिए गए लॉगिन-आईडी और पासवर्ड या लाइव ओटीपी या टाइम ओटीपी नियंत्रित तंत्र के माध्यम से ही एक्सेस किया जाएगा।

ग. ग्राहक, केवाईसी के प्रयोजन के लिए, कंपनी के अधिकृत अधिकारी या इसके विपरीत के स्थान का दौरा करेगा। मूल ओवीडी ग्राहक के पास होगा।

घ. कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक की लाइव फोटो अधिकृत अधिकारी द्वारा ली गई है और वही फोटो ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में एम्बेड की गई है। इसके अलावा, कंपनी का सिस्टम एप्लिकेशन ग्राहक के कैप्चर किए गए लाइव फोटोग्राफ परसीएएफ नंबर, जीपीएस निर्देशांक, अधिकृत अधिकारी का नाम, अद्वितीय कर्मचारी कोड (कंपनी द्वारा सौंपा गया) और दिनांक (DD:MM:YYYY) और टाइम स्टैम्प (HH:MM:SS) के साथ पढ़ने योग्य रूप में वॉटर-मार्क लगाएगा ।

ङ. कंपनी के एप्लिकेशन में यह विशेषता होगी, कि ग्राहक की केवल लाइव फोटो खींची जाती है और ग्राहक की कोई मुद्रित या वीडियो-ग्राफ वाली फोटो नहीं ली जाती है। लाइव फोटो खींचते समय ग्राहक के पीछे की पृष्ठभूमि सफेद रंग की होनी चाहिए और ग्राहक की लाइव फोटो खींचते समय कोई अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं आना चाहिए।

च. इसी तरह, मूल ओवीडी की लाइव फोटो या आधार के प्राप्ति का प्रमाण, जहां ऑफलाइन सत्यापन (क्षैतिज रूप से रखा गया है) नहीं किया जा सकता है, ऊपर से लंबवत रूप से कैप्चर किया जाएगा और ऊपर बताए अनुसार पठनीय रूप में वॉटर-मार्किंग की जाएगी। मूल दस्तावेजों की लाइव फोटो खींचते समय मोबाइल डिवाइस में कोई टेढ़ापन या झुकाव नहीं होना चाहिए।

छ. ग्राहक का लाइव फोटोग्राफ और उसके मूल दस्तावेज उचित प्रकाश में लिए जाएंगे ताकि वे स्पष्ट रूप से पठनीय और पहचान योग्य हों।

ज. इसके बाद, सीएएफ में सभी प्रविष्टियां ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और सूचनाओं के अनुसार भरी जाएंगी। उन दस्तावेजों में जहां त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड उपलब्ध है, ऐसे विवरणों को मैन्युअल रूप से विवरण दाखिल करने के बजाय क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑटो-पॉप्युलेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूआईडीएआई से डाउनलोड किए गए भौतिक आधार/ई-आधार के मामले में जहां क्यूआर कोड उपलब्ध है, आधार/ई-आधार पर उपलब्ध क्यूआर को स्कैन करके नाम, लिंग, जन्म तिथि और पते जैसे विवरण ऑटो-पॉप्युलेट किए जा सकते हैं।

झ. एक बार उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ग्राहक के अपने मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) संदेश भेजा जाएगा जिसमें लिखा होगा कि 'कृपया ओटीपी साझा करने से पहले फॉर्म में भरे गए विवरणों को सत्यापित करें'। ओटीपी के सफल सत्यापन पर, इसे सीएएफ पर ग्राहक के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। हालांकि, यदि ग्राहक के पास अपना मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस उद्देश्य के लिए उसके परिवार/रिश्तेदारों/ज्ञात व्यक्तियों के मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है और सीएएफ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, पंजीकृत अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर ग्राहक के हस्ताक्षर के लिए उपयोग किया जाता है। कंपनी

को यह जांचना होगा कि ग्राहक के हस्ताक्षर में उपयोग किया गया मोबाइल नंबर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर नहीं है।

ञ. अधिकृत अधिकारी ग्राहक के लाइव फोटोग्राफ और मूल दस्तावेज को कैप्चर करने के बारे में एक घोषणा प्रदान करेगा। इस प्रयोजन के लिए, अधिकृत अधिकारी को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) से सत्यापित किया जाएगा जो कंपनी के साथ पंजीकृत उसके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। सफल ओटीपी सत्यापन पर, इसे घोषणा पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के रूप में माना जाएगा। इस अधिकृत अधिकारी की घोषणा में अधिकृत अधिकारी की लाइव फोटो भी खींची जाएगी।

ट. इन सभी गतिविधियों के बाद, आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने और कंपनी के एक्टिवेशन अधिकारी को एक्टिवेशन अनुरोध दर्ज करने के बारे में जानकारी देगा, और प्रक्रिया की लेनदेन-आईडी/संदर्भ-आईडी संख्या भी उत्पन्न करेगा। प्राधिकृत अधिकारी भविष्य के संदर्भ के लिए ग्राहक को लेनदेन-आईडी/संदर्भ-आईडी संख्या के बारे में विवरण सूचित करेगा।

ठ. कंपनी का अधिकृत अधिकारी जांच करेगा और सत्यापित करेगा कि: - (i) दस्तावेज़ की फोटो में उपलब्ध जानकारी सीएएफ में अधिकृत अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी से मेल खाती है। (ii) ग्राहक का लाइव फोटोग्राफ दस्तावेज में उपलब्ध फोटो से मेल खाता है। और (iii) अनिवार्य फील्ड सहित सीएएफ में सभी आवश्यक विवरण ठीक से भरे गए हैं;

ड. सफल सत्यापन पर, सीएएफ को कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो सीएएफ का एक प्रिंट लेगा, उपयुक्त स्थान पर ग्राहक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा, फिर उसे स्कैन करके सिस्टम में अपलोड करेगा। मूल हार्ड कॉपी ग्राहक को वापस की जा सकती है।

अनुलग्नक ॥

अतिरिक्त केवाईसी दस्तावेजों की सूची जिन पर कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों के लिए विचार किया जा सकता है:

यह दस्तावेजों की सांकेतिक सूची है जो कम जोखिम श्रेणी के ग्राहकों से प्राप्त की जा सकती है। अधिक मार्गदर्शन के लिए कृपया इस नीति के प्रासंगिक अनुच्छेदों के साथ-साथ क्रेडिट नीति देखें।

व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए केवाईसी दस्तावेज:

क्र. सं.	स्वीकार्य दस्तावेज	पहचान	आवासीय पता	हस्ताक्षर	जन्म तिथि
1	पैन कार्ड*	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
2	आधार यूआईडी कार्ड#	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
3	मतदाता पहचान पत्र	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
4	ड्राइविंग लाइसेंस	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ
5	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और ब्यौरा शामिल है	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
6	मान्य पासपोर्ट	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए आवेदक की फोटो के साथ पहचान पत्र।	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
8	नरेगा/सरकारी एजेंसी/उपक्रमों द्वारा जारी जॉब कार्ड	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ
9	व्यक्ति की विधिवत सत्यापित फोटो के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र,	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
10	ग्राहक की पहचान/फोटो की पुष्टि करने वाले किसी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरण या राजपत्रित अधिकारी का पत्र	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं
11	बैंक खाता विवरण का प्रथम पृष्ठ / **फोटो के साथ पास बुक और फोटो पर बैंक की मुहर।**	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं
12	उपयोगिता बिल (बिजली, लैंडलाइन टेलीफोन, पोस्ट पेड मोबाइल, पाइप्ड गैस लाइन, पानी) 2 महीने से अधिक पुराना नहीं है।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं

13	ग्राहक के नाम पर विधिवत पंजीकृत मूल/प्रमाणित बिक्री विलेख/करार, जैसा लागू हो, नीति/प्रक्रिया के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए। स्वीकार्य ओवीडी दस्तावेज़ के अनुसार प्रस्तुत किए गए पते के प्रमाण के मामले में वर्तमान पते से अलग पता है, तो ऐसे ओवीडी पते के प्रमाण को मूल में सत्यापित किया जाना चाहिए और एफ आई / सत्यापन सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान पते के प्रमाण के लिए, ग्राहक रेंटएग्रीमेंट / लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंटया एकस्व-घोषणा की एक प्रति जमा कर सकता है और ऐसे वर्तमान पते को FI एजेंसी / कंपनी / शाखा अधिकारीद्वारा व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से सत्यापित करने की आवश्यकता है।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
14	नवीनतम संपत्ति या नगर कर रसीद	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
15	राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी नियोक्ता से आवास के आवंटन का पत्र और आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ लीव और लाइसेंस करार (समझौता)।	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
16	सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश, यदि उनमें पता है	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
17	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या का विवरण शामिल है	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं
18	जन्म प्रमाण पत्र (सरकारी एजेंसी)	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
19	स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं)	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
20	उस बैंक से हस्ताक्षर सत्यापन प्रमाण पत्र जहां उधारकर्ता खाता चला रहा है	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ

ध्यातव्य:- * जिन मामलों में पैन उपलब्ध नहीं है, वहाँ सभी आवेदकों, सह-आवेदक(कों) और गारंटर के लिए फॉर्म 60 अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाएगा।

आधार का प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।

अनुलग्नक III

1. फर्म / कंपनी से पते के प्रमाण के रूप में प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (बिंदु (क से घ) तक अनिवार्य और (ङ से छ) में से कोई भी एक दस्तावेज)

क्र.सं.	दस्तावेज	अनिवार्य	फर्म	कंपनी
क	निगमन प्रमाणपत्र	हाँ		हाँ
ख	संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम	हाँ		हाँ
ग	पंजीकृत साझेदारी विलेख	हाँ	हाँ	
घ	पैन कार्ड आवंटन पत्र की प्रति	हाँ	हाँ	हाँ
ङ	फर्म का नवीनतम बिजली बिल या दूरभाष बिल (दो माह से अधिक पुराना न हो)		हाँ	हाँ
च	व्यवसाय पंजीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो (जीएसटी)		हाँ	हाँ
छ	राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का बैंक विवरण		हाँ	हाँ

2. फर्म/ एलएलपी/ कंपनी के साथ अपनी संबद्धता के पहचान प्रमाण के रूप में उनके साझेदारों/निदेशकों से प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

दस्तावेज का प्रकार		पहचान का प्रमाण
(निदेशक/साझेदार/ट्रस्टी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, आदि)	बोर्ड का संकल्प	हाँ
	निदेशक पहचान संख्या	हाँ
	पते के प्रमाण और पहचान के प्रमाण के लिए	अनुलग्नक II देखें

अनुलग्नक –IV

क. बिल्डर/परियोजना/कॉर्पोरेट ग्राहकों से संबंधित एसटीआर की निदर्शी सूची:

1. ग्राहक (क्लाइंट) की विधिक संरचना में कई बार बदलाव किया गया है (नाम में परिवर्तन, स्वामित्व का हस्तांतरण, कॉर्पोरेट सीट का परिवर्तन);

2. परियोजना की कुल लागत की तुलना में छोटे ऋण के लिए एएचएफएल से संपर्क करने वाला बिल्डर;

3. बिल्डर परियोजना के लिए धन के स्रोतों की व्याख्या करने में असमर्थ है;

4. विभिन्न प्राधिकारियों से अनुमोदन/प्रतिबंध नकली साबित होते हैं या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राहक आवश्यक सरकारी अनुमोदन/फाइलिंग आदि प्राप्त नहीं करना चाहता है;

5. प्रबंधन अनजान या अनुपयुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) के निर्देशों के अनुसार कार्य करता प्रतीत होता है;

6. व्यवसाय के आकार या प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की संख्या या संरचना (उदाहरणस्वरूप, कर्मचारियों की संख्या और उपयोग की गई संपत्ति को देखते हुए कंपनी का कारोबार अनुचित रूप से अधिक है);

7. बहु-क्षेत्राधिकार परिचालन वाले ग्राहक जिनके पास पर्याप्त केंद्रीकृत कॉर्पोरेट निरीक्षण नहीं है;

8. विधिक व्यवस्था की स्थापना पर सलाह, जिसका उपयोग स्वामित्व या वास्तविक आर्थिक उद्देश्य को अस्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है (न्यास, कंपनियों की स्थापना या नाम / कॉर्पोरेट सीट या अन्य जटिल समूह संरचनाओं की संस्थापना सहित);

9. नकद या आसानी से हस्तांतरणीय संपत्तियों में उच्च स्तर के लेनदेन वाली संस्थाएं, जिनमें से अवैध धन को छिपाया जा सकता है।

10. उन देशों से जुड़े ग्राहक जो वाहक शेयरों की अनुमति देते हैं।

ख. रिपोर्ट किए जाने वाले (व्यक्तिगत ग्राहक) सीटीआर/एसटीआर लेन-देनों की निदर्शी सूची

1. ग्राहक (क्लाइंट) से संबंधित विवरण कई बार बदले गए हैं (नाम परिवर्तन, बार-बार सुधार आदि);

2. अनावश्यक रूप से जटिल ग्राहक संरचना;

3. व्यक्तिगत या लेन-देन के वर्ग जो व्यवसाय प्रोफ़ाइल से असंबंधित होते हैं, और अपेक्षित गतिविधियाँ / अज्ञात लेन-देन;

4. ग्राहक सूचना, डेटा, दस्तावेज प्रदान करने में अनिच्छुक है;

5. नकली दस्तावेज, डेटा, ऋण का उद्देश्य, खातों का विवरण प्रस्तुत करना;

6. आय के स्रोत, जिसके द्वारा प्रारंभिक योगदान किया गया है का विवरण प्रस्तुत करने से इनकार करता है, बैंक खाते में धन के स्रोत संदिग्ध हैं आदि ;

7. व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए अनिच्छुक, पर्याप्त कारणों के बिना किसी तृतीय पक्ष/मुख्तारनामा धारक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता है;

8. एएचएफएल की शाखा/कार्यालय से संपर्क करें, जो ऋण आवेदन में दिए गए ग्राहक के आवासीय या व्यावसायिक पते से दूर हो, जब दिए गए पते के पास एएचएफएल शाखा/कार्यालय हो;

9. बैंकखाते के विवरण/एकाधिक खातों में कई हस्तांतरणों को समझाने या संतुष्ट करने में असमर्थ हो;

10. निधि के स्रोत के उचित औचित्य के बिना असंबंधित तृतीय पक्ष खातों के माध्यम से किया गया प्रारंभिक योगदान;

11. ऋण राशि के अंतिम उपयोग के उचित औचित्य के बिना और ऋण के अंतिम उपयोग के अनुपात के बिना टॉप-अप ऋण और/या इक्विटी ऋण प्राप्त करना;

12. ऋण की मंजूरी के लिए आय के संदिग्ध साधन का सुझाव देना;

13. जहां लेन-देन का आर्थिक अर्थ न हो;

14. धोखाधड़ी का पता चलना; ग्राहक से किसी भी शाखा द्वारा प्राप्त जाली नोटों की सूचना एनएचबी/आरबीआई परिपत्र/अधिसूचनाओं के अनुसार दी जाएगी;

15. अज्ञात स्रोत के साथ असामान्य वित्तीय लेन-देन;

16. गैर-संबद्ध या अज्ञात तृतीय पक्षों से प्राप्त भुगतान और शुल्क के लिए नकद भुगतान, जब यह भुगतान का एक विशिष्ट तरीका नहीं होगा;

17. ऋण के वास्तविक लाभार्थी और खरीदे जाने वाले फ्लैट के लाभार्थी पर गंभीर संदेह है;

18. फर्जी बैंक खाता खोलकर ऋण राशि का नकदीकरण;

19. ऋण के लिए आवेदन करना यह जानते हुए कि वित्तपोषित की जाने वाली संपत्ति/आवास इकाई को पहले वित्त पोषित किया गया है और यह बकाया है और इसे छिपाया जा रहा है;

20. बिक्री के समझौते में उल्लिखित बिक्री राशि असामान्य रूप से खरीद के क्षेत्र में अधिसूचित प्रकाशित दरों की तुलना में अधिक/कम है;

21. एक ही संपत्ति/आवास इकाई के लिए बहु-निधिकरण;

22. किसी तृतीय पक्ष के पक्ष में भुगतान के लिए अनुरोध करना, जिसका लेनदेन से कोई संबंध नहीं है;

23. ग्राहक द्वारा विक्रेता/बिल्डर/डेवलपर/ब्रोकर/एजेंट आदि के साथ मिलीभगत से ऋण राशि का उपयोग और निर्धारित किए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग करना।

24. एनजीओ/धर्मार्थ संगठन/लघु/मध्यम प्रतिष्ठान (एसएमई)/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/सूक्ष्म वित्त समूह (एमएफजी) को शामिल करते हुए बहु-वित्त पोषण/वित्तपोषण

25. पते में परिवर्तन के लिए बार-बार अनुरोध;

26. अधिक भुगतान की गई राशि वापस करने के अनुरोध के साथ किश्तों का अधिक भुगतान।

27. अपेक्षा से अधिक/कम कीमत पर या सरकार द्वारा अधिसूचित दरों पर रियल एस्टेट में निवेश।

****